



उत्तर प्रदेश सरकार  
वर्ष 2026-2027 के  
आय-व्ययक में  
सम्मिलित  
व्यय की नई मांग

---

फरवरी, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार  
वर्ष 2026-2027 के  
आय-व्ययक में  
सम्मिलित  
व्यय की नई मांग

## प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

	( ₹ लाख में )
क- राजस्व लेखा	2150674.31
ख- पूंजी लेखा	2205858.40
कुल योग :	<u>4356532.71</u>

बर्ष 2026-2027 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मर्दे

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	( ₹ लाख में )		योग
			पूँजी लेखे का व्यय		
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
002	आवास विभाग	5000.00	100100.00	40100.00	145200.00
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	10000.00	55000.00	...	65000.00
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	1044.90	...	...	1044.90
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	150.00	...	...	150.00
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	124655.43	8750.00	5135.00	138540.43
009	ऊर्जा विभाग	...	78278.00	...	78278.00
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	2823.35	1475.00	...	4298.35
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	123134.62	...	...	123134.62
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	25105.00	1579.42	...	26684.42
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	1071500.0	377.00	...	1071877.00
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	9000.00	7447.50	...	16447.50
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	3897.50	...	...	3897.50
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	1010.00	10600.00	...	11610.00
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	15769.93	100.00	...	15869.93
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	500.00	...	...	500.00
021	खाद्य तथा रसद विभाग	150.00	1775.00	...	1925.00
022	खेल विभाग	9200.00	20500.00	...	29700.00
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	...	125.00	...	125.00
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	8659.00	14000.00	75504.00	98163.00
025	गृह विभाग (कारागार)	...	56.22	...	56.22
026	गृह विभाग (पुलिस)	1486.60	25580.00	...	27066.60
027	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	...	522.46	...	522.46
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	15.00	...	...	15.00
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	...	19000.00	...	19000.00
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	35546.72	2500.00	...	38046.72
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	...	1.00	...	1.00
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	...	3.00	...	3.00

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	( ₹ लाख में )		योग
			पूँजी लेखे का व्यय		
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4500.00	...	...	4500.00
036	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	12600.00	...	...	12600.00
037	नगर विकास विभाग	448400.00	...	...	448400.00
040	नियोजन विभाग	2569.45	325485.00	...	328054.45
042	न्याय विभाग	...	400.00	...	400.00
043	परिवहन विभाग	...	45500.00	...	45500.00
045	पर्यावरण विभाग	50.00	...	...	50.00
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1000.00	6677.12	...	7677.12
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	5799.92	8000.00	...	13799.92
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	...	2500.00	...	2500.00
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	...	2.00	...	2.00
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	25990.00	...	25990.00
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	221733.00	...	221733.00
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	...	559885.00	...	559885.00
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	...	10000.00	...	10000.00
060	वन विभाग	5140.00	860.00	...	6000.00
066	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	64.00	...	...	64.00
067	विधान परिषद् सचिवालय	...	985.72	...	985.72
068	विधान सभा सचिवालय	...	775.00	...	775.00
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	5000.00	...	...	5000.00
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3000.00	1000.00	...	4000.00
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	109477.00	58000.00	...	167477.00
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	40376.30	15024.00	...	55400.30
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	17050.00	4500.00	...	21550.00
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	...	17.92	...	17.92
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	...	1.00	...	1.00
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	13680.00	...	2000.00	15680.00
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	6900.00	2300.00	...	9200.00

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	( ₹ लाख में )		योग
			पूँजी लेखे का व्यय		
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	146.00	...	...	146.00
082	सतर्कता विभाग	...	500.00	...	500.00
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	9888.58	156053.84	...	165942.42
084	सामान्य प्रशासन विभाग	9000.00	...	...	9000.00
089	राज्य कर विभाग	135.00	...	...	135.00
091	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	1000.00	99.27	...	1099.27
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	6250.01	...	...	6250.01
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	...	289060.93	...	289060.93
कुलयोग		2150674.31	2083119.40	122739.00	4356532.71

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
002	2217-शहरी विकास	1-राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हेतु कार्पस फण्ड	5000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	5000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2-मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों में अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण	75000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना	15000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	100000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हब का निर्माण	100.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	100.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	6-दिल्ली-मेरठ नमो भारत कारीडोर	100.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	7-लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना	40000.00
		लेखा शीर्ष 6217 का योग	40100.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	145200.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-‘ एक जनपद एक व्यंजन योजना ’	7500.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना	2500.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	10000.00
	4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3-सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना	55000.00
		लेखा शीर्ष 4851 का योग	55000.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	65000.00
005	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर का आधुनिकीकरण एवं उच्चिकरण	750.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली के कार्यालय भवन का निर्माण	119.90
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3-मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद-बिजनौर में छात्रावास का निर्माण	175.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	1044.90
		अनुदान संख्या 005 का योग	1044.90

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
006	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन	150.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	150.00
		अनुदान संख्या 006 का योग	150.00
007	2852-उद्योग	1-AI सिटी हेतु परामर्शी शुल्क का भुगतान	229.00
	2852-उद्योग	2-FTTH तथा PMWANI Wi-Fi कनेक्शनों के सत्यापन हेतु तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण (TPA) को भुगतान	800.00
	2852-उद्योग	3-India AI Mission- Center for Excellence (AI-COE) तथा IndiaAI Data Labs ( ITI Colleges) की स्थापना	3282.00
	2852-उद्योग	4-उत्तर प्रदेश AI-मिशन (UP-AIM)	22500.00
	2852-उद्योग	5-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति	10000.00
	2852-उद्योग	6- उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन	7000.00
	2852-उद्योग	7-उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024	11937.00
	2852-उद्योग	8- उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना	10000.00
	2852-उद्योग	9-उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2018	4500.00
	2852-उद्योग	10-उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022	2500.00
	2852-उद्योग	11-जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढीकरण	328.50
	2852-उद्योग	12-टेक युवा-समर्थ योजना	10000.00
	2852-उद्योग	13-देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना	1200.00
	2852-उद्योग	14-यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-3.0 (यूपीस्वान-3.0)	11762.50
	2852-उद्योग	15-लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना	7000.00
	2852-उद्योग	16-साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना	9516.43
	2852-उद्योग	17-सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप आई टी पार्क	1500.00
	2852-उद्योग	18- स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना	600.00
	2852-उद्योग	19-स्टेट डाटा सेन्टर-2.0 की स्थापना	10000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	124655.43
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना	250.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	250.00
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	21-उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन	3000.00
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	22-लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना	3000.00
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	23-सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसूच आई टी पार्क	1000.00
		लेखा शीर्ष 4859 का योग	7000.00
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	24-एक्सप्रेस-वे पर अतिरिक्त जन सुविधाओं का निर्माण	1500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	1500.00
6885	उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज	25-उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जारी किये गये बाण्ड का भुगतान	5135.00
		लेखा शीर्ष 6885 का योग	5135.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	138540.43
009	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-आर. डी. एस. एस. योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कार्य	3278.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-पीक लोड डिमांड के सापेक्ष आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बी. ई. एस. एस.) की स्थापना	10000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत नयी बसावटों के विद्युतीकरण कार्य	10000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रदेश में पारेषण उपकेन्द्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बी.ई.एस.एस.) की स्थापना	5000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-प्रदेश में विद्युत वितरण तंत्र के प्रोटेक्शन सिस्टम का कार्य	50000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	78278.00
		अनुदान संख्या 009 का योग	78278.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
010	2401-फसल कृषि कर्म	1- आलू-बीज के विक्रय दर में छूट योजना	500.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2- औद्योगिक प्रचार प्रसार की योजना	298.35
	2401-फसल कृषि कर्म	3- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो ,मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	1000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	4- रूफ टॉप गार्डनिंग	300.00
	2401-फसल कृषि कर्म	5- हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना	725.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	2823.35
	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	6- खाद्य प्रसंस्करण के प्रशिक्षण केन्द्र की उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना	600.00
	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	7-हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना	875.00
		लेखा शीर्ष 4401 का योग	1475.00
		अनुदान संख्या 010 का योग	4298.35
011	2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	1- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा, मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा तथा कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के लिए वेतन / गैर वेतन / नियेत्ता अंशदान	232.31
		लेखा शीर्ष 2071 का योग	232.31
	2401-फसल कृषि कर्म	2- किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के लिये रिवाल्विंग फण्ड योजना	7500.00
	2401-फसल कृषि कर्म	3- गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती के प्रोत्साहन की योजना	9000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	4-डीजल पम्प सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने की योजना (राज्य योजना)	63784.00
	2401-फसल कृषि कर्म	5- बुन्देलखण्ड सेन्टर आफ एक्सीलेन्स आन रिजीलियेन्ट एग्रीकल्चर की स्थापना	1757.20
	2401-फसल कृषि कर्म	6- यूपीएग्रीज परियोजनान्तर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना	24500.00
	2401-फसल कृषि कर्म	7- यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विश्व स्तरीय हैचरी एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	15500.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	122041.20
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		8- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा, मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा तथा कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के लिए वेतन / गैर वेतन / नियेक्ता अंशदान	861.11
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	861.11
		अनुदान संख्या 011 का योग	123134.62
013	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1-उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना	15104.00
	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 2501 का योग	25104.00
	2505-ग्राम रोजगार	3- विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वी बी-जी राम जी)	1.00
		लेखा शीर्ष 2505 का योग	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4- क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद में निर्माण कार्य	33.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5- क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी-बुलन्दशहर में निर्माण कार्य	63.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-जनपद-महाराजगंज, फर्रुखाबाद, सम्भल, महोबा, औरैया, अमेठी, एटा तथा अम्बेडकरनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	1000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7- जिला ग्राम्य विकास संस्थान, (दादरी), गौतमबुद्धनगर में निर्माण कार्य	93.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8- जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दामोदरपुरा, जनपद-मथुरा में नवीन छात्रावास भवन का निर्माण	177.52
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हल्दौर, जनपद-बिजनौर में छात्रावास का निर्माण	130.13
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना	22.77
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11- दीनदयालय उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ परिसर में आनग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना	60.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1579.42
		अनुदान संख्या 013 का योग	26684.42
014	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1- युवा कल्याण विभाग में माननीय सांसद/माननीय विधायक खेल स्पर्धा आयोजन	2000.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	2000.00
	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2- 16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अनुदान	1069500.00
		लेखा शीर्ष 2515 का योग	1069500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश के महानिदेशालय परिसर में विभागीय भण्डार गृह का निर्माण	176.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	176.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4- युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के महानिदेशालय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण	201.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	201.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	1071877.00
015	2403-पशु पालन	1- पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती का संचालन कार्य	219.00
	2403-पशु पालन	2-पशुपालन विभाग में बुनियादी ढांचे के विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं के सुलभ संचालन एवं गुणवत्ता हेतु परामर्श कार्य	200.00
	2403-पशु पालन	3- प्रादेशिक पशुधन मिशन (स्टेट लाइवस्टॉक मिशन)	1000.00
	2403-पशु पालन	4- बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढीकरण की योजना	81.00
	2403-पशु पालन	5- मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	5000.00
	2403-पशु पालन	6-सेन्टर फार एडवान्स्ड रिप्रोडक्शन एण्ड एक्सीलेंस (CARE) एवं टेस्टिंग रिसर्च एण्ड एनिमल केयर (TRACE) केन्द्र हेतु वायविलिटी गैप फन्डिंग योजना	2500.00
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	9000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	7- पशुपालन विभाग, अयोध्या रोड, बादशाहबाग, लखनऊ में नये आवासों का निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य	500.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	500.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	8- कृत्रिम गर्भाधान योजना (राज्य योजना)	200.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	9-पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श/सदर/शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना	3000.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	10- पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा	1000.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	11- पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा	500.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12- पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा में निर्माण	200.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	13- पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती का संचालन कार्य	31.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	14- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत वाहनों का क्रय	300.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	15- पशुपालन विभाग, में विभिन्न उपकरणों/संयंत्रों का क्रय	707.50
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16- पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार	50.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	17-बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढीकरण की योजना	919.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	18-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें	40.00
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	6947.50
		अनुदान संख्या 015 का योग	16447.50
016	2404-डेरी विकास	1- एन.पी.डी.डी. घटक-ए योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को सहायता	3897.50
		लेखा शीर्ष 2404 का योग	3897.50
		अनुदान संख्या 016 का योग	3897.50
017	2405-मछली पालन	1- उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना	300.00
	2405-मछली पालन	2- प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना	200.00
	2405-मछली पालन	3- प्रदेश में डिजिटल तकनीक से जलीय संसाधनों का सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता	150.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	2405-मछली पालन	4- प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना	135.00
	2405-मछली पालन	5- मत्स्य विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार गतिविधियां	200.00
	2405-मछली पालन	6- मातस्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों का निर्माण	25.00
		लेखा शीर्ष 2405 का योग	1010.00
	4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	7- प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश उ 0 प्र 0 फिशरीज प्रोजेक्ट सेन्टर की स्थापना	600.00
	4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8-प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होल-सेल फिश मण्डी, एक्वा पार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि की स्थापना	10000.00
		लेखा शीर्ष 4405 का योग	10600.00
		अनुदान संख्या 017 का योग	11610.00
018	2425-सहकारिता	1- अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत सहकारी समितियों/अन्य संस्थाओं के नवीन गोदामों का निर्माण	2500.00
	2425-सहकारिता	2- अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर होने वाले ब्याज की हानि की प्रतिपूर्ति	2500.00
	2425-सहकारिता	3- उ 0 प्र 0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल द्वारा भर्ती परीक्षा	2300.00
	2425-सहकारिता	4- उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	2400.00
	2425-सहकारिता	5- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता	669.93
	2425-सहकारिता	6- प्रदेश में अन्य सहकारी समितियों/संस्थाओं का उन्नयन	1000.00
	2425-सहकारिता	7- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना	3800.00
	2425-सहकारिता	8- यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में ई-आफिस लागू किया जाना	100.00
	2425-सहकारिता	9- सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सहायता	500.00
		लेखा शीर्ष 2425 का योग	15769.93
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10- राज्य सहकारी महाविद्यालय(सहकारी शिक्षण संस्थान की स्थापना)	100.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	15869.93
020	2051-लोक सेवा आयोग	1-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गुप्त सेवा व्यय	500.00
		लेखा शीर्ष 2051 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 020 का योग	500.00
021	3456-सिविल पूर्ति	1-उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशालय का अधिष्ठान	100.00
		लेखा शीर्ष 3456 का योग	100.00
	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	2-बाट माप उपकरणों के मरम्मत कार्य हेतु लाइसेंस आवेदन के लिए तकनीकी डिप्लोमा धारक युवाओं को प्रोत्साहित करने की नीति-2026	50.00
		लेखा शीर्ष 3475 का योग	50.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-जिला उपभोक्ता आयोग के भवन एवं मीडिएशन सेंटर का निर्माण	1250.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यमानक / द्वितीय मानक, प्रयोगशाला भवन का निर्माण	525.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1775.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	1925.00
022	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1- मेजर ध्यानचंद राज्य खेल वि० वि० मेरठ का संचालन	6000.00
	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	2-मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में विभिन्न कार्य	3000.00
	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	3- स्पोर्ट्स कॉलेज, सहारनपुर	200.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	9200.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद कानपुर के ग्रीन पार्क अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्विकास	4500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-प्रदेश के मण्डलों में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण	8000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6- मेजर ध्यानचन्द्र राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में नवीन भवन का निर्माण	8000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	20500.00
		अनुदान संख्या 022 का योग	29700.00
023	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के जनपदों में कार्यालय भवन का निर्माण	125.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	125.00
		अनुदान संख्या 023 का योग	125.00
024	2852-उद्योग	1-चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013	8659.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	8659.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		2-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स का निर्माण	500.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		3-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी का निर्माण	2500.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		4-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेडा (बरेली) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य	1250.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		5- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य	1250.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		6-सहकारी चीनी मिल, बागपत का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	5000.00
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		7-सहकारी चीनी मिल, मोरना (मुजफ्फरनगर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	3500.00
		लेखा शीर्ष 4860 का योग	14000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		8-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों का गन्ना मूल्य भुगतान	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		9- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, को-जनरेशन, आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		10-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स का निर्माण	500.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	11-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी का निर्माण	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	12- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा (बरेली) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य	1250.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	13- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य	1250.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	14-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की मिलों का ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव	1500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	15-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान	60000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	16-किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला(अमरोहा) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	17-रूद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर (रामपुर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	18- सहकारी चीनी मिल, बागपत का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	5000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	19- सहकारी चीनी मिल, मोरना (मुजफ्फरनगर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	3500.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	75504.00
		अनुदान संख्या 024 का योग	98163.00
025	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1- प्रदेश के नवनिर्मित जिला कारागारों में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर एवं सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था	56.22
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	56.22
		अनुदान संख्या 025 का योग	56.22
026	2055-पुलिस	1- एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ) हेतु व्यवस्था	100.00
	2055-पुलिस	2- गृह (पुलिस) विभाग में यूपी-112	131.00
	2055-पुलिस	3- पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु वाहन, उपकरण / संयंत्र हेतु व्यवस्था	269.00
	2055-पुलिस	4-प्रदेश में साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि	973.60

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 2055 का योग	1473.60
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		5-एस.डी.आर.एफ. हेतु वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था	13.00
		लेखा शीर्ष 2245 का योग	13.00
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		6- पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु वाहन, उपकरण / संयंत्र हेतु व्यवस्था	1500.00
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		7-प्रदेश में साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि	242.00
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय		8-यूपी-112 परियोजना	2620.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	4362.00
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		9- पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु	731.00
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		10-प्रदेश में अग्निशमन हेतु वाहन / उपकरण का क्रय	19000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	19731.00
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		11-एस.डी.आर.एफ. हेतु वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था	1487.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	1487.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	27066.60
027 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		1- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में निर्माण कार्य	500.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		2- नागरिक सुरक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाया जाना	22.46
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	522.46
		अनुदान संख्या 027 का योग	522.46
030 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें		1- मुख्य सचिव के अभिसूचना श्रोतों के विकास हेतु गुप्त सेवा व्यय	15.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	15.00
		अनुदान संख्या 030 का योग	15.00
031 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		1-केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सालय का निर्माण	5000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण	5000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रायोजित)	500.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)	1000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 की स्थापना	2500.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फेज-1, 2 व 3 में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 की स्थापना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	19000.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	19000.00
032	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-चिकित्सालयों के विकास हेतु निजी निवेश के प्रोत्साहन की योजना	2500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2- नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण एवं मानिट्रिंग	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-पी.पी. मोड पर सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों का संचालन	2500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल हेतु पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना	46.72
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियाँ	30000.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	35546.72
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-प्रदेश में 100 शैत्या से अधिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण	2500.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	38046.72
033	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश में नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों की स्थापना	1.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	1.00
		अनुदान संख्या 033 का योग	1.00
034	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत	1-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के	1.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	परिव्यय	सुदृढीकरण एवं नये कालेजों की स्थापना के लिये भूमि क्रय	
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-होम्योपैथिक विभाग के ग्रामीण चिकित्सालयों के लिये भूमि का क्रय	1.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-होम्योपैथिक विभाग में शहरी चिकित्सालयों के लिये भूमि का क्रय	1.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	3.00
		अनुदान संख्या 034 का योग	3.00
035	2211-परिवार कल्याण	1-ई-विन मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी की निरन्तरता	500.00
	2211-परिवार कल्याण	2-कम्प्यूनिटी प्रॉसेस से सम्बन्धित प्रशिक्षण	1000.00
	2211-परिवार कल्याण	3-सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क (एस एम नेट)	3000.00
		लेखा शीर्ष 2211 का योग	4500.00
		अनुदान संख्या 035 का योग	4500.00
036	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय ए. आई. यूनिट की स्थापना	100.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत हेल्थ डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना	5000.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन / छूट	5000.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-राज्य वन हेल्थ मिशन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5-वैक्सीन प्रिवेन्टिबल डिजीज सर्विलांस एवं नियमित टीकाकरण, सुदृढीकरण गतिविधियों हेतु मानिटरिंग नेटवर्क	2000.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	12600.00
		अनुदान संख्या 036 का योग	12600.00
037	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	1- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 2215 का योग	1000.00
	2217-शहरी विकास	2- 16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में धनराशि की व्यवस्था	430900.00
	2217-शहरी विकास	3- अटल नवीनीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0)	14000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	2217-शहरी विकास	4- नवसृजित/नये सृजित होने वाले नगर निगमों में अमृत एवं अमृत-2.0 के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं का रख-रखाव	2500.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	447400.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	448400.00
040	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	1- जन विश्वास सिद्धान्त	1000.00
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	2- त्वरित आर्थिक विकास योजना	15.00
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	3- प्रदेश के समस्त मण्डलों में उप निदेशक-अर्थ एवं संख्या के कार्यालयों का सुदृढीकरण	54.45
	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	4- स्टेट डाटा सेन्टर अथॉरिटी	1000.00
		लेखा शीर्ष 3451 का योग	2069.45
	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	5- अर्थ एवं संख्या भवन का सुदृढीकरण तथा महानिदेशक के कक्ष का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 3454 का योग	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6- अर्थ एवं संख्या भवन का सुदृढीकरण तथा महानिदेशक के कक्ष का निर्माण	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7- त्वरित आर्थिक विकास योजना	15500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	16000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8- त्वरित आर्थिक विकास योजना	15.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	15.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	9- त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	10.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	10- त्वरित आर्थिक विकास योजना	11005.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	11005.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11- त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	5.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	12- त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	5.00
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		13- त्वरित आर्थिक विकास योजना	73035.00
4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय		14- पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय विकास निधि	115000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	188035.00
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		15- त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	5.00
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		16- त्वरित आर्थिक विकास योजना	15000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	15000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17- त्वरित आर्थिक विकास योजना	95405.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	95405.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	328054.45
042 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		1- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	200.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	200.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय		2- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	200.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	200.00
		अनुदान संख्या 042 का योग	400.00
043 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		1- जनपद गौतमबुद्धनगर में कार्यालय भवन का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	500.00
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		2- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसों का क्रय	40000.00
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		3- मुख्यमंत्री 'जीरो फैटिलिटी' विज्ञान योजना	5000.00
		लेखा शीर्ष 5055 का योग	45000.00
		अनुदान संख्या 043 का योग	45500.00
045 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		1-उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण (CCUS) योजना	50.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 3435 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 045 का योग	50.00
047	2203-तकनीकी शिक्षा	1-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट	1000.00
		लेखा शीर्ष 2203 का योग	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटिक्निक संस्थानों में साज-सज्जा उपकरण/मशीनों संयंत्र की व्यवस्था	2676.12
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3- महिला छात्रावास	1.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4- राजकीय पालीटिक्निक संस्थानों में साज-सज्जा, उपकरण, मशीनों एवं संयंत्र आदि की व्यवस्था	4000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	6677.12
		अनुदान संख्या 047 का योग	7677.12
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1- पोषण अभियान के अन्तर्गत स्मार्टफोन प्रदान किये जाने हेतु टाप-अप की व्यवस्था	2000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2- शाला पूर्व शिक्षा हेतु गतिविधि पुस्तिका	3799.92
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	5799.92
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास	8000.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	8000.00
		अनुदान संख्या 049 का योग	13799.92
050	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1- प्रदेश की तहसीलों को मॉडल तहसील के रूप में विकसित किया जाना	2500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	2500.00
		अनुदान संख्या 050 का योग	2500.00
052	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1- उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमांकन,सर्वेक्षण,सीमान्त सर्वेक्षण एवं मानचित्रण हेतु	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2- उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमा विवादों के	1.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		निस्तारण हेतु सीमा स्तम्भ/बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	2.00
		अनुदान संख्या 052 का योग	2.00
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	1000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण	3000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनसुद्धार	1000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रैम्प तथा शौचालय निर्माण	250.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-नये कार्यालय भवनों का निर्माण	2000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	7500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	700.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना	1300.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	12-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	17452.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-आवासीय भवनों का निर्माण	4200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14-पूलड आवासों का निर्माण	4200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	15-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	138.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	8538.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	25990.00
057	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	9000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	55153.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी सेतु के सामानान्तर नये पुल का निर्माण	15758.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4- जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झँसी साइड पर नारापुर की दिशा में) तक गंगा नदी पर नये सेतु का निर्माण	23637.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	55153.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण	15758.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	47274.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	221733.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	221733.00
058	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश में जनपद / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण	4000.00
		लेखा शीर्ष 5053 का योग	4000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	50000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	1.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण के नये कार्य	30000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	1.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9- तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण,	50000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		11-नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण/पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	12000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		12-प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	17000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		13-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	7500.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		14-प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य (नये कार्य)	3000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		15-प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी कार्य	12000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		16-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चिकरण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	94550.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17-मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	10000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		18-मुख्यमन्त्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण	120000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		19-मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	800.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		20-राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	1.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		21-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	5000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		22-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	63032.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		23-शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	50000.00
5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		24-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	800.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	555885.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	559885.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
059	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-नये विधान भवन का निर्माण	10000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	10000.00
		अनुदान संख्या 059 का योग	10000.00
060	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	1-उ. प्र. में वन बल का आधुनिकीकरण	140.00
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2-रानीपुर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन, चित्रकूट का कॉर्पस फण्ड	5000.00
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	5140.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	3-उ. प्र. में वन बल का आधुनिकीकरण	860.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	860.00
		अनुदान संख्या 060 का योग	6000.00
066	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अभिलेख का केन्द्रीयकृत रूप से रख-रखाव	64.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	64.00
		अनुदान संख्या 066 का योग	64.00
067	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान परिषद् के पोर्टिको में फसाड लाईटिंग	492.48
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान परिषद् में डिजिटल लाइब्रेरी	493.24
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	985.72
		अनुदान संख्या 067 का योग	985.72
068	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के अब तक के समस्त मा0 मुख्य मंत्री, मा0 अध्यक्षगणों एवं अन्य महान विभूतियों के संबंध में डिजिटल आर्ट गैलरी की स्थापना	410.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान सभा मंडप हेतु स्थापित वातानुकूलन संयंत्र का अपग्रेडेशन	365.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	775.00
		अनुदान संख्या 068 का योग	775.00
069	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान	5000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	5000.00
070	2810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा	1-उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 का क्रियान्वयन	2500.00
	2810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा	2-नवीकरणीय ऊर्जा हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन	500.00
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	3000.00
	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3-लाइटनिंग फॉरकास्ट हेतु सैटेलाइट पे-लोड का विकास	1000.00
		लेखा शीर्ष 5425 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	4000.00
071	2202-सामान्य शिक्षा	1- आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना	2.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2- एक ही परिवार की एक से अधिक बच्चियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	10000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	35784.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4- साक्षर भारत मिशन की अवशेष देनदारियों का भुगतान	33691.00
	2202-सामान्य शिक्षा	5- स्कूल सुरक्षा ऑडिट	30000.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	109477.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6- आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना	58000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	58000.00
		अनुदान संख्या 071 का योग	167477.00
072	2202-सामान्य शिक्षा	1- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	8925.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2- छात्राओं हेतु निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की सुविधा	30000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3- सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा तथा अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य	1000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4- स्कूल सुरक्षा ऑडिट	451.30
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	40376.30
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर की स्थापना	15000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	6- वाहनों का क्रय	24.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	15024.00
		अनुदान संख्या 072 का योग	55400.30
073	2202-सामान्य शिक्षा	1- उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान "छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति"	1450.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2- उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के स्वर्ण पदक विजेता छात्रों (यू.जी. / पी.जी.) हेतु प्रोत्साहन योजना	500.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3- उत्तर प्रदेश के स्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों हेतु ए.आई. प्रमाणन शुल्क प्रतिभूति योजना	1000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4- काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही	1100.00
	2202-सामान्य शिक्षा	5- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	2000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	6- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी (सी.एम.-विद्यालक्ष्मी) योजना	3000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	7- भारतीय ज्ञान परम्परा संवर्धन शोध पीठ	500.00
	2202-सामान्य शिक्षा	8- महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास	300.00
	2202-सामान्य शिक्षा	9- मुख्यमंत्री भारतीय ज्ञान प्रणाली (आई.के.एस.) वैश्विक उत्कृष्टता कोष की स्थापना	1000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	10- राज्य विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इनोवेशन फण्ड की स्थापना	5000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	11- स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर	1200.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	17050.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	12- उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा STEM संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रावास	2000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	13- काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही में निर्माण	1000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	14- छात्रावासों का निर्माण	500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	15- स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर में निर्माण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	4500.00
		अनुदान संख्या 073 का योग	21550.00
074	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत	1- वाहनों का क्रय	17.92

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	परिव्यय		
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	17.92
		अनुदान संख्या 074 का योग	17.92
076	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1- श्रम विभाग के कार्यालयों का निर्माण	1.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	1.00
078	2013-मंत्रि परिषद्	1- मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान	13680.00
		लेखा शीर्ष 2013 का योग	13680.00
	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	2- उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम	2000.00
		लेखा शीर्ष 6075 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 078 का योग	15680.00
079	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन स्वावलम्बन एवं आजीविका सेतु मिशन	100.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल हेतु अनुदान योजना	6000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3- बचपन डे केयर सेन्टर	800.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	6900.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4- जगदुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में इनडोर स्टेडियम का निर्माण	200.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5- जगदुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में शैक्षणिक भवन का निर्माण	500.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण	300.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7- बचपन डे केयर सेन्टर	500.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	800.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	2300.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	9200.00
081	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों	1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य	10.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
	तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ शोध कार्य	
		लेखा शीर्ष 2225 का योग	10.00
	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	2-उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना	136.00
		लेखा शीर्ष 2501 का योग	136.00
		अनुदान संख्या 081 का योग	146.00
082	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1- उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 082 का योग	500.00
083	2215-जल पूर्ति तथा सफाई	1- जल परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण, संचालन एवं अनुरक्षण	4018.58
		लेखा शीर्ष 2215 का योग	4018.58
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2- प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में शोध कार्य	100.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	100.00
	2403-पशु पालन	3- मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	1000.00
	2405-मछली पालन	4- प्रदेश में अन्तर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों का निर्माण	10.00
		लेखा शीर्ष 2405 का योग	10.00
	2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	5-उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना	4760.00
		लेखा शीर्ष 2501 का योग	4760.00
	4225-अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6- पी.एम. अजय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण	1308.84
		लेखा शीर्ष 4225 का योग	1308.84
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7- गाय / भैसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं	60.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		विस्तार	
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	60.00
4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8- क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)	40000.00
4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	9- क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)	15000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	55000.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य	14847.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11- जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी सेतु के समानान्तर नये सेतु का निर्माण कार्य	4242.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12- जनपद प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा नदी पर सेतु का निर्माण कार्य	6363.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13- नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत सेतुओं का निर्माण कार्य	12726.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14- राज्य के प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण वं सुदृढीकरण कार्य	25450.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के निर्माण कार्य	16968.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण कार्य	14847.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण कार्य	4242.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	99685.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	165942.42
084	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1- जनगणना-2027	9000.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	9000.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	9000.00
089	2043-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (1) के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार	1- मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना	135.00
		लेखा शीर्ष 2043 का योग	135.00
		अनुदान संख्या 089 का योग	135.00
091	2030-स्टाम्प पंजीकरण	1- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उपनिबंधक कार्यालयों में फ्रन्ट ऑफिस निर्माण	1000.00

## वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि ( रुपये लाख में )
		लेखा शीर्ष 2030 का योग	1000.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		2- स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण	99.27
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	99.27
		अनुदान संख्या 091 का योग	1099.27
093 2215-जल पूर्ति तथा सफाई		1- जल परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण, संचालन एवं अनुरक्षण	6027.87
		लेखा शीर्ष 2215 का योग	6027.87
2702-लघु सिंचाई		2- जलवायु आधारित भूजल अन्वेषण एवं विकास योजना	115.00
2702-लघु सिंचाई		3- लघु सिंचाई शिक्षता प्रशिक्षण योजना	107.14
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	222.14
		अनुदान संख्या 093 का योग	6250.01
094 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	120896.71
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	120896.71
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	55250.48
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	55250.48
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		3-लघु सिंचाई की परियोजनायें	31119.74
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	31119.74
4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	81794.00
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	81794.00
		अनुदान संख्या 094 का योग	289060.93

## अनुदान संख्या 002

## आवास विभाग

## राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल हेतु कार्पस फण्ड

बंसतकुंज, लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के प्रबन्धन संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए कार्पस फण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2217- शहरी विकास	
05- अन्य शहरी विकास योजनाये	
800- अन्य व्यय	
03- राष्ट्र प्रेरणा स्थल हेतु कार्पस फण्ड	
42-अन्य व्यय	5000.00
-----	

## लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी के माध्यम से लखनऊ शहर में तीव्र सुरक्षित मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराये जाने के लिए अंश पूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
10- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी में अंशपूजी विनियोजन	
30-निवेश/ऋण	15000.00
-----	

## सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र एवं उसके आस-पास के पूरे क्षेत्र को आर्थिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक समग्र नियोजित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
800- अन्य व्यय	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
30-निवेश/ऋण	10000.00
-----	

## मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों में अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण

मेरठ, मथुरा-वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत जनसामान्य को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के

लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 750.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 750.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य शहरी विकास योजनायें	
800- अन्य व्यय	
10- मेरठ, मथुरा - वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24-वृहत् निर्माण कार्य	75000.00

-----

अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हब का निर्माण

उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों, व्यक्तियों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं / परियोजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउद्देशीय हब का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें	
800- अन्य व्यय	
03- अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बहुउद्देशीय हब का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

-----

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी के माध्यम से लखनऊ शहर में तीव्र सुरक्षित मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम हेतु केन्द्रीय करों के भुगतान के लिये ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज	
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	
06- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी	
0601- केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण	
30-निवेश/ऋण	10000.00

-----

### लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी के माध्यम से लखनऊ शहर में तीव्र सुरक्षित मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए राज्य करों के भुगतान के लिये ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज	
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	
06- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी	
0602- राज्य करों में भुगतान हेतु ऋण	
30-निवेश/ऋण	15000.00

### लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी के माध्यम से लखनऊ शहर में तीव्र सुरक्षित मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम हेतु भूमि के लिए सबआर्डिनेट ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज	
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	
06- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1 बी	
0603- भूमि हेतु सब - आर्डिनेट ऋण	
30-निवेश/ऋण	15000.00

### दिल्ली-मेरठ नमो भारत कारीडोर

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कारीडोर पर परिचालन हानि के भुगतान के लिये ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज	
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	
07- दिल्ली - मेरठ - नमो भारत कारीडोर के परिचालन हानि के भुगतान हेतु	
30-निवेश/ऋण	100.00

## अनुदान संख्या 003

## उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

## ' एक जनपद एक व्यंजन योजना '

प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंजनों को डिजाइन, तकनीक, गुणवत्ता, ब्रान्डिंग एवं पैकेजिंग के क्षेत्र में व्यापक इन्टरवेंशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ' एक जनपद एक व्यंजन योजना ' हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
102- लघु उद्योग	
33- एक जनपद एक व्यंजन	
42-अन्य व्यय	7500.00

-----

## सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना

प्रदेश में रोजगार-स्वरोजगार, प्रशिक्षण तथा निवेश आकर्षित करने, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों की अलग-अलग योजनाओं एवं कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे संचालित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
800- अन्य व्यय	
16- सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना	
42-अन्य व्यय	2500.00

-----

## सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना

प्रदेश में रोजगार-स्वरोजगार, प्रशिक्षण तथा निवेश आकर्षित करने, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों की अलग-अलग योजनाओं एवं कार्यक्रमों को एक ही छत के नीचे संचालित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 550.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 550.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
07- सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन	
24-वृहत् निर्माण कार्य	55000.00

-----

## अनुदान संख्या 005

## उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली के कार्यालय भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के शामली जनपद कार्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 119.90 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 119.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

32- जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, शामली का कार्यालय भवन

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

119.90

-----

मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद-बिजनौर में छात्रावास का निर्माण

मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद-बिजनौर में नये छात्रावास का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 175.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 175.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

33- मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद - बिजनौर में नवीन छात्रावास

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

175.00

-----

कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर में नई तकनीक की मशीनों एवं संयंत्रों सहित कच्चे माल एवं उत्पादित माल को सुरक्षित रखने हेतु भवन निर्माण, मशीनरी प्लाण्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 750.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 750.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

34- कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी- गोरखपुर का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

750.00

-----

## अनुदान संख्या 006

## उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन

प्रदेश में स्थापित हो रही वस्त्र क्षेत्र की इकाईयों में कार्य करने हेतु बड़ी संख्या में प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना' के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

103- हथकरघा उद्योग

09- उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

150.00

-----

## अनुदान संख्या 007

## उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

## यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-3.0 (यूपीस्वान-3.0)

प्रदेश में यूपीस्वान-2.0 के स्थान पर एक अद्यतन तकनीक, डाटा सुरक्षा एवं राज्य स्तरीय पंहच के साथ यूपीस्वान-3.0 के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 11762.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 11762.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
101- दूरसंचार	
03- यूपी स्वान-3	
42-अन्य व्यय	11762.50

### India AI Mission- Center for Excellence (AI-COE) तथा IndiaAI Data Labs ( ITI Colleges) की स्थापना

केन्द्र पोषित योजना India AI Mission- Center for Excellence के अन्तर्गत 03 AI-COE की स्थापना हेतु राज्यांश रुपये 24.00 करोड़ एवं केन्द्र पोषित योजना IndiaAI Data Labs के अन्तर्गत चिन्हित 49 ITI में Labs की स्थापना के लिए राज्यांश रुपये 8.82 करोड़, कुल रुपये 32.82 करोड़ की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 32.82 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 32.82 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रॉनिक्स	
32- इंडिया ए.आई. मिशन, India AI Data Labs की स्थापना	
42-अन्य व्यय	3282.00

### उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति

राज्य को वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण केन्द्र के महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति के अन्तर्गत निवेशक को प्रोत्साहन लाभ के संवितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रॉनिक्स	
33- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन	
27-सब्सिडी	10000.00

## स्टेट डाटा सेन्टर-2.0 की स्थापना

राज्य में ई-गवर्नेन्स सेवाओं, विभागीय अनुप्रयोग, महत्वपूर्ण शासकीय डेटा स्टोरेज, सुरक्षा मानकों हेतु वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के दृष्टिगत आधुनिक, विस्तारित क्षमता एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसूच एक नवीन डाटा सेन्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रॉनिक्स	
34- स्टेट डाटा सेन्टर 2.0	
42-अन्य व्यय	10000.00

-----

## FTTH तथा PMWANI Wi-Fi कनेक्शनों के सत्यापन हेतु तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण (TPA) को भुगतान

भारत सरकार की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2022-23 के अन्तर्गत 16718 ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत 05 FTTH तथा 01 PMWANI Wi-Fi कनेक्शनों के सत्यापन हेतु चयनित तृतीय पक्ष संस्था को भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रॉनिक्स	
35- विशेष सहायता परियोजना 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में लगाये गये कनेक्शनों का सत्यापन	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	800.00

-----

## लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना

प्रदेश में स्टार्ट अप्स के विकास को गति देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत राज्यस्तरीय प्लेटफार्म के स लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 70.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रॉनिक्स	
36- लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना	
42-अन्य व्यय	7000.00

-----

## AI सिटी हेतु परामर्शी शुल्क का भुगतान

उत्तर प्रदेश में पी पी मोड के तहत संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित की जाने वाली AI-सिटी के लिए देय परामर्शी शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 229.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 229.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रानिक्स	
37- ए.आई. सिटी कन्सल्टेंट्स को भुगतान	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	229.00

## सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसूचि आई टी पार्क

आई. टी. अवसंरचना में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने जिससे सोपान-2 एवं सोपान-3 स्तर के शहरों में समावेशी डिजिटल विकास से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसूचि आई. टी. पार्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रानिक्स	
38- आई. टी. पार्क	
42-अन्य व्यय	1500.00

## साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना

राज्य के डिजिटल सेवाओं के तीव्र विस्तार के साथ डाटा चोरी, साइबर हमलों एवं वेबसाइट विकृति के खतरों को देखते हुए एवं CERI-In के दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य के डिजिटल संसाधनों की 24X7 निगरानी एवं त्वारित सुरक्षा प्रतिक्रिया के लिए एक समर्पित साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 9516.43 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 9516.43 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग	
202- इलेक्ट्रानिक्स	
39- साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना	
42-अन्य व्यय	9516.43

## उत्तर प्रदेश AI-मिशन (UP-AIM)

भारत सरकार द्वारा संचालित India-AI के अनुसूचि उत्तर प्रदेश में भी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश AI-मिशन (UP-AIM) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 225.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 225.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2852- उद्योग

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

202- इलेक्ट्रॉनिक्स

40- उत्तर प्रदेश ए.आई. मिशन

42-अन्य व्यय

22500.00

-----

टेक युवा-समर्थ योजना

टेक युवा-समर्थ योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2852- उद्योग

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

202- इलेक्ट्रॉनिक्स

41- टेक युवा-समर्थ युवा योजना

42-अन्य व्यय

10000.00

-----

उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन

रोबोटिक्स, फोटोनिक्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग जैसी तकनीकियाँ उत्तर प्रदेश में निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए "उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन" के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 70.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2852- उद्योग

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

202- इलेक्ट्रॉनिक्स

42- उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन

42-अन्य व्यय

7000.00

-----

उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना

उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2852- उद्योग

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

202- इलेक्ट्रॉनिक्स

43- उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना

42-अन्य व्यय

10000.00

-----

## उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024

उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024 के अन्तर्गत निवेशक इकाईयों को प्रोत्साहन संचितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 119.37 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 119.37 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
08- उपभोक्ता उद्योग	
600- अन्य	
03- बायो प्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024	
42-अन्य व्यय	11937.00

-----

### स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश को नवाचार-केन्द्रित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने स्थानीय स्टार्टअप के लिए समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं क्षेत्र विशिष्ट नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से एंव समर्पित स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- स्टार्टअप मिशन निदेशालय	
42-अन्य व्यय	600.00

-----

### जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढीकरण

प्रदेश के समस्त जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों तक निवेश के अवसरों का प्रत्यक्ष स्पर् से व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यालयों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 328.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 328.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
104- औद्योगिक प्रोत्साहन	
05- जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढीकरण	
42-अन्य व्यय	328.50

-----

### देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना

देश में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों तक प्रदेश में निवेश अवसरों, निवेश संवर्धन, परियोजनाओं सुविधा तथा निवेशकों के लिए सेवा प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु मुम्बई, बैंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई एवं नई दिल्ली में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
104- औद्योगिक प्रोत्साहन	
06- देश के औद्योगिक महानगरों में राज्य निवेश प्रोत्साहन कार्यालयों की स्थापना	
42-अन्य व्यय	1200.00

-----

### उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2018

प्रदेश में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहन संवितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 45.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 45.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
38- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2018	
42-अन्य व्यय	4500.00

-----

### उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022

उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन लाभ के संवितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
39- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022	
42-अन्य व्यय	2500.00

-----

### स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश को नवाचार-केन्द्रित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं क्षेत्र विशिष्ट नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से एवं समर्पित स्टार्टअप मिशन निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- स्टार्टअप मिशन निदेशालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	250.00

-----

### लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना

प्रदेश में स्टार्ट अप्स के विकास को गति देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत राज्यस्तरीय प्लेटफार्म के रूप लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub के लिये पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
02- इलेक्ट्रॉनिक	
800- अन्य निवेश	
17- लखनऊ तथा गौतमबुद्ध नगर में U-Hub की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00

-----

### सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसूच आई टी पार्क

आई. टी. अवसंरचना में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने जिससे सोपान-2 एवं सोपान-3 स्तर के शहरों में समावेशी डिजिटल विकास से उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसूच आई. टी. पार्क हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
02- इलेक्ट्रॉनिक	
800- अन्य निवेश	
18- आई. टी. पार्क	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

-----

### 340 उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन

रोबोटिक्स, फोटोनिक्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी, एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग जैसी तकनीकियाँ उत्तर प्रदेश में निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए "उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन" के लिये पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
02- इलेक्ट्रॉनिक	
800- अन्य निवेश	
19- उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन	
42-अन्य व्यय	3000.00

-----

## एक्सप्रेस-वे पर अतिरिक्त जन सुविधाओं का निर्माण

यूपीडा द्वारा प्रदेश में संचालित एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों की सुविधा के लिये नये जन सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

800- अन्य व्यय

04- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अतिरिक्त जनसुविधा परिसर का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

-----

### उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जारी किये गये बाण्ड का भुगतान

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई को जारी बाण्ड के धारक को बकाया देयों के भुगतान के लिए ब्याज रहित ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 51.35 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 51.35 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

6885- उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

08- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को कर्ज

30-निवेश/ऋण

5135.00

-----

## अनुदान संख्या 009

## ऊर्जा विभाग

पीक लोड डिमांड के सापेक्ष आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बी. ई. एस. एस.) की स्थापना उ 0 प्र 0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एन. टी. पी. सी. , यूपी ग्रीन एनर्जी एवं कोल इण्डिया लि० की संयुक्त सहभागिता में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सौर पीक लोड डिमांड के सापेक्ष आपूर्ति हेतु बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ( बी. ई. एस. एस.) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
05- सोलर पावर को पीक लोड डिमाण्ड आपूर्ति हेतु बी.ई.एस.एस (बैटरी इनर्जी स्टोरेज सिस्टम) की स्थापना हेतु अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	10000.00

-----

प्रदेश में विद्युत वितरण तंत्र के प्रोटेक्शन सिस्टम का कार्य

प्रदेश के विभिन्न डिस्काम्स के अन्तर्गत विद्युत वितरण तंत्र के प्रोटेक्शन कार्य के लिये अंशपूजी के रूप में व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
04- प्रदेश के डिस्काम्स अन्तर्गत विद्युत वितरण तंत्र के प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्य हेतु अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	50000.00

-----

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत नयी बसावटों के विद्युतीकरण कार्य

वर्ष 2019 के उपरान्त स्थापित अविद्युतीकृत नयी बसावटों के विद्युतीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
05- ग्रामीण क्षेत्रों में अविद्युतीकृत नई बसावटों के विद्युतीकरण के कार्य हेतु अंशपूजी	
30-निवेश/ऋण	10000.00

-----

आर. डी. एस. एस. योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कार्य

रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर. डी. एस. एस.) योजनान्तर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) के कार्य हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष समायोजन द्वारा अंशपूजी तथा राज्यांश के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 3278.00 लाख की

आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 3278.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

05- संचरण तथा वितरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

10- रिचैम्पड (आर.डी.एस.एस.) योजना के DA-JGUA के कार्य

30-निवेश/ऋण

3278.00

-----

प्रदेश में पारेषण उपकेन्द्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र एवं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बी.ई.एस.एस.) की स्थापना

उ 0 प्र 0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित और ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने तथा इस सौर ऊर्जा को पीक लोड डिमांड क सापेक्ष आपूर्ति किये जाने हेतु बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

05- संचरण तथा वितरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

16- सोलर संयंत्र तथा बी.ई.एस.एस. (बैटरी इनर्जी स्टोरेज सिस्टम) की स्थापना हेतु अंशपूंजी

30-निवेश/ऋण

5000.00

-----

## अनुदान संख्या 010

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

## आलू-बीज के विक्रय दर में छूट योजना

योजनान्तर्गत राजकीय प्रक्षेत्रों में उत्पादित आलू-बीज का मूल्य अधिक होने के फलस्वरूप में राजकीय शीतगृहों में भण्डारित आलू-बीज की शत प्रतिशत उठान एवं कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आलू उत्पादन हेतु बीज को उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म

108- वाणिज्यिक फसलें

04- आलू बीज के विक्रय दर में छूट की योजना

27-सब्सिडी

500.00

-----

## रूफ टॉप गार्डनिंग

शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर हरियाली, प्राकृतिक सुन्दरता और जन-मानस को स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिगत लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं गौतमबुद्ध नगर के नगर निगम क्षेत्रों में रूफ टॉप गार्डनिंग योजना संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म

119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

03- नर्सरी

0308- रूफ-टॉप गार्डनिंग (काइण्ड ग्राण्ट)

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

300.00

-----

## हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना

प्रदेश में इजरायली तकनीक पर आधारित 16 हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 725.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 725.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें	
03- नर्सरी	
0309- हाईटेक नर्सरी / हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना	
02-मजदूरी	0.10
09-विद्युत देय	0.10
29-अनुरक्षण	10.00
42-अन्य व्यय	0.10
43-सामग्री एवं सम्पूति	0.10
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	714.60
	725.00
योग -	

-----

### राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो ,मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन

योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों व कृषकों को तकनीकी का ज्ञान कराकर, उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें	
04- फल	
0413- राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	
42-अन्य व्यय	500.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500.00
	1000.00
योग -	

-----

### औद्योगिक प्रचार प्रसार की योजना

योजनान्तर्गत बागवानी से जुड़े कृषकों हेतु विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों, औद्योगिक फसलों के प्रबन्धन, संरक्षण, विपणन एवं निर्यात की उन्नत तकनीकों एवं सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन कर कृषकों की आय में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 298.35 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 298.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
800- अन्य व्यय	
04- औद्योगिक प्रचार-प्रसार की योजना	
18-प्रकाशन	62.85
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	152.89
42-अन्य व्यय	70.61
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	12.00
	<hr/>
योग -	298.35
	<hr/>

-----

### हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना

प्रदेश में इजरायली तकनीक पर आधारित 16 हाईटेक नर्सरी/हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाई स्थापित किये जाने के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 875.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 875.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें	
03- नर्सरी	
0309- हाईटेक नर्सरी / हाईटेक सीडलिंग उत्पादन इकाईयों की योजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	875.00

-----

खाद्य प्रसंस्करण के प्रशिक्षण केन्द्र की उच्चिकरण एवं आधुनिकीकरण योजना

योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित 10 राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों एवं 77 राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवीन तकनीक आधारित मशीन उपकरणों की स्थापना एवं भवनों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें

04- खाद्य प्रसंस्करण के ट्रेनिंग सेण्टर के उच्चिकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

500.00

योग -

600.00

-----

## अनुदान संख्या 011

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा, मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा तथा कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के लिए वेतन / गैर वेतन / नियेक्ता अंशदान चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा, मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा तथा कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के लिए वेतन / गैर वेतन / नियेक्ता अंशदान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 1093.42 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1093.42 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	
01- सिविल	
117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान	
03- राज्य सरकार का अंशदान	
0312- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4.50
0313- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर-खीरी के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10.46
0314- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नियोक्ता अंशदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	217.35
	योग - 232.31
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
32- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	423.50
35- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
36- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध मत्स्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	37.61
	योग - 237.61
	योग - 861.11
	कुल योग - 1093.42

-----

यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विश्व स्तरीय हैचरी एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना विश्व बैंक सहायित 'उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड सरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग' परियोजना (यूपीएग्रीज) में एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विश्व स्तरीय हैचरी एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 155.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 155.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
97- वाहय सहायित परियोजनाएं	
9703- एक्वाब्रीज द्वारा विश्व स्तरीय हैचरी तथा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15500.00

यूपीएग्रीज परियोजनान्तर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना

विश्व बैंक सहायित 'उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड सरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग' परियोजना (यूपीएग्रीज) के अन्तर्गत एग्री कमोडिटी क्लस्टर के विकास तथा कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु जेवर एयरपोर्ट के पास सभी प्रकार के टेस्ट तथा ट्रीटमेन्ट को एक की स्थान पर किये जाने के लिए एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 245.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 245.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
97- वाहय सहायित परियोजनाएं	
9704- जेवर एयरपोर्ट के समीप एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24500.00

गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तःफसली खेती के प्रोत्साहन की योजना

योजनान्तर्गत तिलहनी एवं दलहनी फसलों के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक शरदकालीन एवं बसन्तकालीन गन्ने के साथ तिलहनी एवं दलहनी फसलों की अन्तःफसली खेती हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2401- फसल कृषि कर्म	
114- तिलहन विकास	
04- गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अन्तः फसली खेती के प्रोत्साहन की योजना	
27-सब्सिडी	8912.00
42-अन्य व्यय	66.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	22.00

योग - 9000.00

बुन्देलखण्ड सेन्टर आफ एक्सीलेन्स आन रिजीलियेन्ट एग्रीकल्चर की स्थापना

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा में ICRISAT-हैदराबाद तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा Bundelkhand Center of Excellence on Resilient Agriculture की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 1757.20 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1757.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2401- फसल कृषि कर्म	
800- अन्य व्यय	
06- एक्सीलेट तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा बाँदा में बुन्देलखण्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स ऑन रेजीलियेन्ट एग्रीकल्चर की स्थापना	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1757.20
-----	

किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के लिये रिवाल्विंग फण्ड योजना

किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के लिये रिवाल्विंग फण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2401- फसल कृषि कर्म	
130- किसान आय समर्थन	
03- किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) हेतु रिवाल्विंग फण्ड	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	7500.00
-----	

डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना (राज्य योजना)

राज्य वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 637.84 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 637.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2401- फसल कृषि कर्म	
131- तकनीकी उन्नयन	
03- डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	63784.00
-----	

## अनुदान संख्या 013

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

## मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना

प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन' हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

06- स्वरोजगार कार्यक्रम

800- अन्य व्यय

09- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी विपणन योजना

42-अन्य व्यय

10000.00

-----

## उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना

स्वयं सहायता महिलाओं को लघु उद्यम स्थापित करने, ऋण निर्भरता से मुक्त करने तथा "लखपति दीदी" लक्ष्य को गति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 151.04 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 151.04 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

06- स्वरोजगार कार्यक्रम

800- अन्य व्यय

10- उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना

42-अन्य व्यय

15104.00

-----

## विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वी बी-जी राम जी)

ग्रामों में संतुलित विकास के लिए 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण' (वी बी-जी राम जी) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2505- ग्राम रोजगार

02- ग्राम रोजगार गारण्टी योजना

101- राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारण्टी योजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101- विकसित भारत-रोजगार गारण्टी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) (के.60/रा.40-के.+रा.)

42-अन्य व्यय

1.00

-----

## दीनदयालय उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ परिसर में आनग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना

दीनदयालय उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ परिसर में 200 किलोवाट (100 किलोवाट के 02 नग) के आनग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक

में रुपये 60.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

04- दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

60.00

-----

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ परिसर में निर्माणाधीन 02 छात्रावासों के दृष्टिगत पूर्व स्थापित 400 किलोवॉट ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त 630 किलोवॉट क्षमता का एक नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 22.77 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 22.77 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

04- दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

22.77

-----

जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दामोदरपुरा, जनपद-मथुरा में नवीन छात्रावास भवन का निर्माण

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दामोदरपुरा, जनपद-मथुरा में नवीन छात्रावास भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 177.52 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 177.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

05- जिला ग्राम्य विकास संस्थान, दामोदरपुरा जनपद-मथुरा में छात्रावास भवन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

177.52

-----

जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हल्दौर, जनपद-बिजनौर में छात्रावास का निर्माण

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हल्दौर, जनपद-बिजनौर में नवीन महिला छात्रावास का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 130.13 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 130.13 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
06- जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हल्दौर जनपद-बीजनौर में महिला छात्रावास भवन का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	130.13

-----

जनपद-महाराजगंज, फर्रुखाबाद, सम्भल, महोबा, औरैया, अमेठी, एटा तथा अम्बेडकरनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अन्तर्गत अवशेष 17 जनपदों में से तृतीय चरण में 08 जनपदों यथा-महाराजगंज, फर्रुखाबाद, सम्भल, महोबा, औरैया, अमेठी, एटा तथा अम्बेडकरनगर में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
07- विभिन्न जनपदों में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

-----

जिला ग्राम्य विकास संस्थान, (दादरी), गौतमबुद्धनगर में निर्माण कार्य

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ जिला ग्राम्य विकास संस्थान, (दादरी) गौतमबुद्धनगर में संस्थान की आरक्षित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल, मल्टीपुर्पज हॉल एवं सी0 सी0 रोड के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 93.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 93.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
08- जिला ग्राम्य विकास संस्थान, (दादरी) गौतमबुद्ध नगर में विभिन्न निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	93.00

-----

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी-बुलन्दशहर में निर्माण कार्य

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान लखावटी-बुलन्दशहर में छात्रावास, प्रशासनिक भवन एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 63.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 63.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

09- क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी में निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

63.00

-----

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद में निर्माण कार्य

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद में स्थित छात्रावास में कक्षों से सम्बद्ध शौचालय का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 33.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 33.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

10- क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद में निर्माण

25-लघु निर्माण कार्य

33.00

-----

## अनुदान संख्या 014

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

युवा कल्याण विभाग में माननीय सांसद/माननीय विधायक खेल स्पर्धा आयोजन

योजनान्तर्गत माननीय विधायक खेल स्पर्धा के आयोजन एवं आयोजनोपरान्त विजयी/चयनित खिलाड़ियों को माननीय सांसद खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें

104- खेलकूद

05- मा. सांसद / मा. विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन

42-अन्य व्यय

2000.00

-----

## 16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में अनुदान

16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10695.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10695.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		( रुपये लाख में )
2515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
196-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	
03-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80212.50
04-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान (टाइड मद)	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80212.50
	योग -	<u>160425.00</u>
197-	ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	
03-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80212.50
04-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान (टाइड मद)	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80212.50
	योग -	<u>160425.00</u>
198-	ग्राम पंचायतों को सहायता	
03-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	374325.00
04-	सोलहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान (टाइड मद)	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	374325.00
	योग -	<u>748650.00</u>
	कुल योग -	<u><u>1069500.00</u></u>

## युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग उत्तर प्रदेश के महानिदेशालय परिसर में विभागीय भण्डार गृह का निर्माण

महानिदेशालय परिसर में खेलकूद के विभिन्न उपकरण, पी.आर.डी. प्रशिक्षण के उपकरण, फर्नीचर, परेड सामग्री, आपदा प्रबन्धन सामग्री आदि को रखे जाने के लिए भण्डार गृह का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 176.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 176.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		( रुपये लाख में )
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60-	अन्य भवन	
051-	निर्माण	
03-	मुख्यालय परिसर में मल्टीस्टोरी विभागीय भण्डार भवन का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	176.00

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के महानिदेशालय परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण महानिदेशालय परिसर में मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु मल्टीस्टोरी आवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 201.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 201.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

03- मुख्यालय परिसर में अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु मल्टी स्टोरी आवास निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

201.00

-----

## अनुदान संख्या 015

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुपालन विभाग में बुनियादी ढांचे के विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं के सुलभ संचालन एवं गुणवत्ता हेतु परामर्श कार्य पशुपालन विभाग में पी.पी.पी. मोड में बुनियादी ढांचे के विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं के सुलभ संचालन एवं गुणवत्ता के लिए परामर्शी कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2403- पशु पालन	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- निदेशालय	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200.00

-----

सेन्टर फार एडवान्सड रिप्रोडक्शन एण्ड एक्सीलेन्स (CARE) एवं टेस्टिंग रिसर्च एण्ड एनिमल केयर (TRACE) केन्द्र हेतु वायविलिटी गैप फन्डिंग योजना

पी.पी.पी मोड में पशुपालन विभाग के 11 फार्म में जैनेटिक उन्नयन, उत्पादकता वृद्धि तथा कृषक क्षमता वृद्धि के लिये इनका 'सेन्टर फार एडवान्सड रिप्रोडक्शन एण्ड एक्सीलेन्स (CARE)' केन्द्र के रूप में उन्नयन तथा डायगोनोस्टिक लेबोरेटरी एवं पालीक्लीनिक का 'टेस्टिंग, रिसर्च एण्ड एनिमल केयर (TRACE)' केन्द्र के रूप में उन्नयन किये जाने के उद्देश्य से वायविलिटी गैप फन्डिंग (VGF) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2403- पशु पालन	
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	
20- वायाबिलिटी गैप फण्ड्स स्कीम फॉर पी.पी.पी. इनिशिएटिव्स-सेन्टर्ड फॉर एडवांस रिप्रोडक्शन एण्ड एक्सीलेन्स (केयर) एण्ड टेस्टिंग, रिसर्च एण्ड एनीमल केयर (ट्रेस) सेन्टर्स (रा.यो.)	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00

-----

पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती का संचालन कार्य

पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती में अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 219.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 219.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2403- पशु पालन	
102- पशु तथा भैंस विकास	
12- पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती के संचालन की योजना (राज्य योजना)	
08-कार्यालय व्यय	30.00
09-विद्युत देय	12.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30.00
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00
29-अनुरक्षण	30.00
42-अन्य व्यय	26.00
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	30.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	12.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	19.00
	219.00
योग -	219.00

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2403- पशु पालन	
102- पशु तथा भैंस विकास	
31- मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	
42-अन्य व्यय	5000.00

### बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढीकरण की योजना

पशुपालन विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण(7 प्रक्षेत्र-सैदपुर-ललितपुर, गगनपुर-एटा, बोहदपुरा-जालौन, लक्ष्मीपुर-कुशीनगर, नौगढ-चन्दौली, निबलेट-बाराबंकी, आटा-जालौन) करते हुए बकरी पालन को पारम्परिक निर्वाह गतिविधि से उन्नत कर वैज्ञानिक, संगठित एवं बाजारोन्मुख व्यावसायिक उद्यम के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 81.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 81.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

#### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

#### 2403- पशु पालन

#### 106- अन्य पशुधन विकास

#### 08- बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढीकरण

04-यात्रा व्यय	5.00
07-मानदेय	3.00
08-कार्यालय व्यय	1.00
09-विद्युत देय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00
39-औषधि तथा रसायन	1.00
42-अन्य व्यय	1.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20.00

योग -

81.00

-----

### प्रादेशिक पशुधन मिशन (स्टेट लाइवस्टॉक मिशन)

उत्तर प्रदेश के पशुपालकों एवं पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक विकास, उत्पादकता को निर्यात के स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से मध्यम श्रेणी के पशुपालकों को उन्निता के द्वारा पशु उत्पादों में वृद्धि कराने के उद्देश्य से योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2403- पशु पालन	
106- अन्य पशुधन विकास	
10- प्रादेशिक पशुधन मिशन (स्टेट लाइव स्टॉक मिशन) (राज्य योजना)	
04-यात्रा व्यय	1.00
08-कार्यालय व्यय	16.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	16.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
18-प्रकाशन	16.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	15.00
27-सब्सिडी	804.00
42-अन्य व्यय	16.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	101.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00
	1000.00
योग -	

-----

पशुपालन विभाग, अयोध्या रोड, बादशाहबाग, लखनऊ में नये आवासों का निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य

पशुपालन कॉलोनी, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, अयोध्या रोड, बादशाहबाग लखनऊ में लगभग 75 वर्ष पुराने आवासों के स्थान पर नये आवासों के निर्माण तथा सडक फुटपाथ, पार्किंग, सेफ्टिक टैंक, बोरिंग पम्प आदि अन्य निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
700- अन्य आवास	
03- पशुपालन कॉलोनी पशु जैविक औषधि संस्थान, पशुपालन विभाग, अयोध्या रोड, बादशाहबाग, लखनऊ में निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

-----

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श/सदर/शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना

प्रदेश में 50 वर्ष से अधिक पुराने पशु चिकित्सालयों को उनकी उपयोगिता एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार आदर्श पशुचिकित्सालय, सदर पशुचिकित्सालय एवं शताब्दी पशुचिकित्सालयों में वर्गीकृत कर, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप निर्माण के लिए रुपये 1719.00 लाख एवं मशीनों / उपकरणों के लिए रुपये 1281.00 लाख अर्थात इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	
04- पं. दीन दयाल उपाध्याय आदर्श / सदर / शताब्दी पशुचिकित्सालय काया-कल्प योजना (रा.यो.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1719.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1281.00
	<hr/>
योग -	3000.00
	<hr/>

## बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें

पशुपालन विभाग में नव सृजित विकास खण्डों के लिए बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा प्रदान किये जाने के लिए वाहन क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	
10- बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (नव सृजित विकास खण्डों के लिए) (रा.यो.)	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	40.00

## पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार

गाय / भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बायफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
102- पशु तथा भैस विकास	
10- गाय / भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बायफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	50.00

### कृत्रिम गर्भाधान योजना (राज्य योजना)

पशु पालन विज्ञान में कृत्रिम गर्भाधान कार्य के समुचित क्रियान्वयन के लिए उपकरण/मशीनों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
102- पशु तथा भैंस विकास	
11- कृत्रिम गर्भाधान की योजना (राज्य योजना)	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
-----	

### पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती का संचालन कार्य

पशुधन विकास, प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती में मशीन और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 31.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 31.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
102- पशु तथा भैंस विकास	
12- पशुधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र चगेरवां जनपद बस्ती का संचालन	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	31.00
-----	

### पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा में निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा के डेयरी विज्ञान महाविद्यालय में पायलट डेयरी यूनिट-कम बिजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर एण्ड ई 0 टी 0 पी एण्ड इंजीनियरिंग वर्कशाप के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान, मथुरा	
0301- पायलट डेयरी यूनिट-कम बिजनेस इनक्यूबेशन सेन्टर एण्ड ई.टी.पी. एण्ड इंजीनियरिंग वर्कशाप का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
-----	

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा के परिसर में उच्चकृत विद्युत सब स्टेशन/विद्युतीकरण आदि कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान, मथुरा

0302- विश्वविद्यालय परिसर में उच्चकृत विद्युत सब स्टेशन / मरम्मत / वाह्य विद्युतीकरण आदि

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

-----

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा के पशुचिकित्सा संकाय/डेयरी विज्ञान महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय तथा जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के एकीकरण आवासीय व्यवस्था को प्रभावी करने के दृष्टिगत गौतम छात्रावास के विस्तार के लिए निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान, मथुरा

0303- विश्वविद्यालय के गौतम छात्रावास का विस्तारीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

-----

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुरा

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, मथुराके माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र में सम्पत्ति तथा फसलों की सुरक्षा के लिए बाउन्ड्रीवाल का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ संस्थान, मथुरा

0304- विश्वविद्यालय के माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

-----

पशुपालन विभाग, में विभिन्न उपकरणों/संयंत्रों का क्रय

पशुपालन विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण, कृषि उपयोग की मशीनरी/संयंत्र आदि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 707.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 707.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
06- पशुपालन निदेशालय	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	707.50
-----	

बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढीकरण की योजना

पशुपालन विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण(7 प्रक्षेत्र-सैदपुर-ललितपुर, गगनपुर-एटा, बोहदपुरा-जालौन, लक्ष्मीपुर-कुशीनगर, नौगढ-चन्दौली, निबलेट-बाराबंकी, आटा-जालौन) करते हुए बकरी पालन को पारम्परिक निर्वाह गतिविधि से उन्नत कर वैज्ञानिक, संगठित एवं बाजारोन्मुख व्यावसायिक उद्यम के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 919.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 919.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
07- बकरी प्रक्षेत्र	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	15.00
24-वृहत् निर्माण कार्य	903.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
	<hr/>
योग -	919.00
	<hr/>
-----	

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत वाहनों का क्रय

पशुपालन निदेशालय एवं मण्डल/जनपद स्तर कार्यालयों में शासकीय उपयोग के लिए वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
08- निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	300.00
-----	

## अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

एन.पी.डी.डी. घटक-ए योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को सहायता

एन.पी.डी.डी. कम्पोनेन्ट-ए योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 3897.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 3897.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2404- डेरी विकास

102- डेरी विकास परियोजनायें

03- दुग्ध विकास कार्यक्रम

0313- एन.पी.डी.डी. घटक-ए योजना हेतु राज्यांश

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

3897.50

-----

## अनुदान संख्या 017

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार गतिविधियां

मत्स्य विभाग की योजनाओं के सफल संचालन हेतु विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण, प्रगतिशील मत्स्य पालकों द्वारा अपनाई जा रही उत्कृष्ट पद्धति की जानकारी तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में एक्सपोजर विजिट में प्रतिभाग के दृष्टिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार गतिविधियों (IEC) हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- अधिष्ठान	
42-अन्य व्यय	200.00

उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना

प्रदेश में अप्रयुक्त या कम उपयोग वाली जलभराव जमीनों का उपयोग कर मत्स्यपालन क्षेत्र का विकास, जलीय कृषि विविधीकरण, रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास एवं आकर्षक मोतियों के उत्पादन के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत 'उ 0 प्र 0 मोती संवर्धन योजना' के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
101- अन्तर्देशीय मछली पालन	
03- उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	300.00

प्रदेश में विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने तथा मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना हेतु अनुदान के रूप में हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 135.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 135.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
101- अन्तर्देशीय मछली पालन	
06- विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	135.00

मातस्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों का निर्माण

प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए मत्स्य पालक की आजीविका में सुधार के उद्देश्य से अन्तर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास के लिये नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों के निर्माण एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
101- अन्तर्देशीय मछली पालन	
07- प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्सियिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाईओं का निर्माण	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25.00

-----

प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन योजना

प्रदेश में संकटग्रस्त मान चिताला प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन तथा भारतीय मेजर कार्प की मछलियों की संख्या को बढ़ाने, जैव विविधता बनाये रखने, मछुआरा समुदाय की आय एवं रोजगार में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश की सदा नीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प संरक्षण योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
101- अन्तर्देशीय मछली पालन	
08- प्रदेश की सदानीरा नदियों में राज्य मीन चिताला तथा भारतीय मेजर कार्प संरक्षण एवं संवर्धन	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

-----

प्रदेश में डिजिटल तकनीक से जलीय संसाधनो का सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

प्रदेश में डिजिटल तकनीक से जलीय संसाधनो का सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के लिए सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2405- मछली पालन	
101- अन्तर्देशीय मछली पालन	
09- प्रदेश में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग	
42-अन्य व्यय	3.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	147.00

योग -

150.00

-----

प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होल-सेल फिश मण्डी, एक्वा पार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि की स्थापना

प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होल-सेल फिश मण्डी, एक्वा पार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- अंतर्देशीय मछली पालन	
03- प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मण्डी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

-----

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश उ 0 प्र 0 फिशरीज प्रोजेक्ट सेन्टर की स्थापना

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वैज्ञानिक मत्स्य प्रजनन, बीज उत्पादन, रोग प्रबंधन, मत्स्य उत्पाद के मूल्य संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिये जाने के लिए वर्ल्डफिश उ 0 प्र 0 फिशरीज प्रोजेक्ट सेन्टर की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- अंतर्देशीय मछली पालन	
04- पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश उ.प्र. फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00

-----

## अनुदान संख्या 018

## कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया जाना

सहकारिता विभाग की संस्था यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किये जाने के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं सहवर्ती उपकरणों आदि की व्यवस्था मय स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता

001- निदेशन तथा प्रशासन

08- यू.पी.को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि., लखनऊ (पी.सी.एफ) के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया जाना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

-----

सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सहायता

प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिये जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन एवं कार्यशाला आदि के आयोजन के लिए राज्य सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता

003- प्रशिक्षण

04- सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला आदि

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

-----

अल्पकालीन फसली ऋण वितरण पर होने वाले ब्याज की हानि की प्रतिपूर्ति

नाबार्ड द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण योजनान्तर्गत 4.5% की रियायती ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों की कटौती किये जाने के फलस्वरूप यू.पी. कोआपरेटिव बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंको को 5.2% की रियायती ब्याज दर पर ऋण वितरित किये जाने पर ब्याज हानि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता

107- क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता

11- यू.पी. कोआपरेटिव बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाने पर होने वाले ब्याज की हानि की प्रतिपूर्ति

27-सब्सिडी 2500.00

-----

उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज

उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये

24.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 24.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
107- क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	
12- उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	
27-सब्सिडी	2400.00

-----

प्रदेश में अन्य सहकारी समितियों/संस्थाओं का उन्नयन

बी पैक्स के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य सहकारी समितियों/संस्थाओं यथा-सहकारी क्रय विक्रय समितियां डी0 सी0 डी0 एफ,केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ एवं पूर्ति भण्डार की सुरक्षा हेतु मरम्मत एवं नये बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
09- अन्य सहकारी समितियों / संस्थाओं (यथा सहकारी क्रय-विक्रय समितियों, डी.सी.डी.एफ., केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ एवं पूर्ति भण्डार) का उन्नयन	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1000.00

-----

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

प्रदेश के कृषकों विशेष रूप से लघु व सीमान्त कृषकों को दीर्घकालीन ऋण हेतु ब्याज अनुदान, 30 प्र 0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को कार्यशील पूंजी एवं बैंक शाखाओं के आधुनिकीकरण एवं ब्रांडिंग हेतु वित्तीय सहायता के लिये 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 38.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 38.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
10- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3800.00

-----

पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता

केन्द्र पुरोनिधानित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत हार्डवेयर क्रय के लिये परियोजना दिशा निर्देशो के तहत निर्धारित अनुपात के अतिरिक्त अधिभार (Top Up) के वित्त पोषण के लिए राज्य सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 669.93 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 669.93 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
11- पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन हेतु टॉप-अप	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	669.93

-----

अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत सहकारी समितियों/अन्य संस्थाओं के नवीन गोदामों का निर्माण

सहकारिता में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत सहकारी समितियों/अन्य संस्थाओं के नवीन गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
13- अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत सहकारी समितियों / अन्य संस्थाओं के नवीन गोदामों का निर्माण	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2500.00
-----	

उ 0 प्र 0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल द्वारा भर्ती परीक्षा

उ 0 प्र 0 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल द्वारा कार्मिकों हेतु भर्ती परीक्षा के लिए राज्य सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 2300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 2300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2425- सहकारिता	
800- अन्य व्यय	
12- उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल द्वारा भर्ती परीक्षा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2300.00
-----	

राज्य सहकारी महाविद्यालय(सहकारी शिक्षण संस्थान की स्थापना)

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सहकारी महाविद्यालय / सहकारी शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
03- राज्य सहकारी महाविद्यालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
-----	

अनुदान संख्या 020  
कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग )

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में गुप्त सेवा व्यय

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित गोपनीय कार्यों पर व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2051- लोक सेवा आयोग

103- कर्मचारी चयन आयोग

03- उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

23-गुप्त सेवा व्यय

500.00

-----

## अनुदान संख्या 021

## खाद्य तथा रसद विभाग

उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशालय का अधिष्ठान

उपभोक्ता हितों को संरक्षित करने के लिए राज्य स्तर पर सशक्त कार्यवाही हेतु सुदृढ़ संरचना की आवश्यकता के फलस्वरूप उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशालय की स्थापना के दृष्टिगत अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

3456- सिविल पूर्ति	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- निदेशालय	
01-वेतन	27.00
02-मजदूरी	1.00
03-मंहगाई भत्ता	16.00
04-यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	1.00
07-मानदेय	2.00
08-कार्यालय व्यय	2.00
09-विद्युत देय	6.00
10-जलकर / जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	8.00
18-प्रकाशन	0.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00
29-अनुरक्षण	2.00
42-अन्य व्यय	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49-चिकित्सा व्यय	2.00
55-मकान किराया भत्ता	2.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9.00

बाट माप उपकरणों के मरम्मत कार्य हेतु लाइसेंस आवेदन के लिए तकनीकी डिप्लोमा धारक युवाओं को प्रोत्साहित करने की नीति-2026

प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त बाट माप उपकरणों का नियतकालिक सत्यापन कर उपभोक्ता हित संरक्षण एवं युवाओं को स्वतः रोजगार के नवीन अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाट माप उपकरणों के मरम्मत हेतु लाइसेंस निर्गत किये जाने एवं प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	
106- भार और माप का विनियमन	
03- अधिष्ठान व्यय	
42-अन्य व्यय	50.00

विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यमानक / द्वितीय मानक, प्रयोगशाला भवन का निर्माण

प्रदेश के 10 स्थानों यथा-छिब्रामऊ, कुण्डा-प्रतापगढ, बिसवां-सीतापुर, भरवारी, कौशाम्बी, कोंच-जालौन, श्रावस्ती, देवरिया, अयोध्या व स्ट्रौली-अयोध्या में कुल 09 कार्यमानक प्रयोगशाला भवन तथा 01 द्वितीय मानक प्रयोगशाला भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 525.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 525.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलिब्रियेशन टावर्स का भवन निर्माण(के.100/रा.00-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	525.00

जिला उपभोक्ता आयोग के भवन एवं मीडिएशन सेंटर का निर्माण

प्रदेश में 10 जिला उपभोक्ता आयोगों यथा-बस्ती, शामली, कानपुर नगर, वाराणसी, महोबा, औरैया, हापुड, सम्भल, आजमगढ एवं कन्नौज के भवन एवं मीडिएशन सेंटर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.50 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.50 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
06- जिला उपभोक्ता आयोगों के भवन एवं मीडिएशन सेंटर का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1250.00

## अनुदान संख्या 022

## खेल विभाग

## स्पोर्ट्स कॉलेज, सहारनपुर

स्पोर्ट्स कॉलेज, सहारनपुर में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित व्यय के लिए सहायता अनुदान के रूप में वेतन मद में रुपये 100 लाख तथा गैर-वेतन मद में रुपये 100 लाख की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें	
104- खेलकूद	
24- स्पोर्ट्स कॉलेज, सहारनपुर को अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00
	<hr/>
योग -	200.00
	<hr/>

## मेजर ध्यानचंद राज्य खेल वि0 वि0 मेरठ का संचालन

मेजर ध्यानचंद राज्य खेल वि0 वि0 मेरठ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें	
104- खेलकूद	
37- मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ को स्थायी विन्यास निधि हेतु एकबारीय अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
38- मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ को शैक्षणिक सत्रों एवं खेल गतिविधियों हेतु एक बारीय अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5000.00
	<hr/>
योग -	6000.00
	<hr/>

## मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में विभिन्न कार्य

मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के संचालन के लिए विभिन्न मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- मेजर ध्यानचन्द विश्वविद्यालय, मेरठ	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3000.00
	<hr/>

## जनपद कानपुर के ग्रीन पार्क अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्विकास

कानपुर नगर स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम को पुनर्विकसित करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी के क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ अन्य आवश्यक आधारभूत

संरचनाओं को स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 45.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 45.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
102- खेलकूद स्टेडिया	
16- जनपद कानपुर के ग्रीन पार्क अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4500.00

-----

प्रदेश के मण्डलों में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण

प्रदेश के सभी मण्डलों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किये जाने के दृष्टिगत अवशेष 10 मण्डलों यथा- अयोध्या, बरेली, आगरा, मिर्जापुर, देवीपाटन मण्डल (गोण्डा), झाँसी, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ एवं अलीगढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
15- स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00

-----

मेजर ध्यानचन्द्र राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में नवीन भवन का निर्माण

मेजर ध्यानचन्द्र राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में नवीन भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03- खेलकूद तथा युवा सेवा	
800- अन्य व्यय	
16- मेजर ध्यानचन्द्र विश्वविद्यालय, मेरठ	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00

-----

## अनुदान संख्या 023

## गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

प्रदेश के जनपदों में कार्यालय भवन का निर्माण

जिला गन्ना अधिकारी, गोरखपुर, उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर परिक्षेत्र तथा जिला गन्ना अधिकारी, मऊ के नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 125.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- नवसृजित जनपदों में नए कार्यालय भवन

24-वृहत् निर्माण कार्य

125.00

-----

**अनुदान संख्या 024**  
**गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)**

**चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013**

प्रदेश की चीनी उद्योग को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन के दृष्टिगत चीनी मिलों के दावों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 86.59 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 86.59 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2852- उद्योग	
08- उपभोक्ता उद्योग	
201- चीनी	
03- चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	8659.00
-----	

**सहकारी चीनी मिल, मोरना (मुजफ्फरनगर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण**

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिल मोरना (मुजफ्फरनगर) की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. को बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. (प्रथम चरण में 3500 टी.सी.डी. तत्पश्चात् 5000 टी.सी.डी.) करते हुए रिफाइनड शुगर उत्पादन के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 35.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
04- सहकारी चीनी मिल मोरना (मुजफ्फरनगर) की कार्यक्षमता में सुधार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	3500.00
-----	

**सहकारी चीनी मिल, बागपत का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण**

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 5000 टी.सी.डी. करते हुए नवीनतम तकनीकी आधारित रिफाइनड शुगर उत्पादन की नई चीनी मिल के निर्माण के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
05- सहकारी चीनी मिल बागपत (बागपत) की कार्यक्षमता में सुधार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	5000.00
-----	

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी का निर्माण**

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में 120 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवनी के निर्माण के लिए अंशपूजी हेतु

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
06- चीनी निगम की चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में आसवनी की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	2500.00

-----

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
07- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब- वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	500.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने तथा मिल के सुचारु संचालन के उद्देश्य से तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
08- किसान सहकारी चीनी मिल लि. सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	1250.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा (बरेली) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा (बरेली) पराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. करते हुए रिफाइनड शुगर उत्पादन की नई चीनी मिल के निर्माण के लिए अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.50

करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4860-	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	चीनी	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
09-	किसान सहकारी चीनी मिल लि. सेमीखेड़ा (बरेली) की पेराई क्षमता में वृद्धि, रिफाइण्ड शुगर उत्पादन की नई चीनी मिल की स्थापना	
30-	निवेश/ऋण	1250.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860-	उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04-	चीनी	
101-	सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
03-	उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30-	निवेश/ऋण	60000.00

-----

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला(अमरोहा) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला(अमरोहा) में तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने तथा मिल के सुचारु संचालन के उद्देश्य से तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860-	उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04-	चीनी	
101-	सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
04-	सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु	
30-	निवेश/ऋण	1.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की मिलों का ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की मिलों में आगामी पेराई सत्र 2026-27 को समय से सुचारु रूप से प्रारम्भ किये जाने के लिए ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज	
30-निवेश/ऋण	1500.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेहरोड (बिजनौर) में तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने तथा मिल के सुचारु संचालन के उद्देश्य से तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
06- सहकारी चीनी मिल सेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण तथा आसवनी आदि हेतु	
30-निवेश/ऋण	1250.00

-----

स्ट्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर (रामपुर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

स्ट्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर (रामपुर) में तकनीकी हानियों में कमी लाये जाने तथा मिल के सुचारु संचालन के उद्देश्य से तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
09- स्ट्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर की तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	1.00

-----

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा (बरेली) में तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण कार्य

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा (बरेली) की पेराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. करते हुए रिफाइनड शुगर उत्पादन की मिल के निर्माण के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

10- दि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेडा एवं किसान सहकारी चीनी मिल लि. पूनपुर का तकनीकी अपग्रेडेशन /  
आधुनिकीकरण

30-निवेश/ऋण

1250.00

-----

सहकारी चीनी मिल, मोरना (मुजफ्फरनगर) का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिल मोरना (मुजफ्फरनगर) की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. को बढ़ाकर 3500 टी.सी.डी. (प्रथम चरण में 3500 टी.सी.डी. तत्पश्चात् 5000 टी.सी.डी.) करते हुए रिफाइनड शुगर उत्पादन के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 35.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

12- किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

30-निवेश/ऋण

3500.00

-----

सहकारी चीनी मिल, बागपत का तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 5000 टी.सी.डी. करते हुए नवीनतम तकनीकी आधारित रिफाइनड शुगर उत्पादन की नई चीनी मिल के निर्माण के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

13- किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

30-निवेश/ऋण

5000.00

-----

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में 120 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवनी के निर्माण के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	2500.00

-----

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों का गन्ना मूल्य भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
05- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान	
30-निवेश/ऋण	1.00

-----

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, को-जनरेशन, आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, को-जनरेशन संयंत्र, आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण	
30-निवेश/ऋण	1.00

-----

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कामप्लेक्स का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) में नई चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कामप्लेक्स के निर्माण के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

13- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की छाता(मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवानी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग  
काम्प्लेक्स की स्थापना

30-निवेश/ऋण

500.00

-----

## अनुदान संख्या 025

## गृह विभाग (कारागार)

प्रदेश के नवनिर्मित जिला कारागारों में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर एवं सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था

प्रदेश में नवनिर्मित 03 जिला कारागारों क्रमशः श्रावस्ती, संत कबीर नगर एवं प्रतापगढ में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर एवं सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 56.22 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 56.22 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

26- समस्त कारागार

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

56.22

-----

## अनुदान संख्या 026

## गृह विभाग (पुलिस)

पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु वाहन, उपकरण / संयंत्र हेतु व्यवस्था

प्रदेश के समस्त थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन एवं उपकरण / संयंत्र आदि की व्यवस्था के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 269.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 269.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2055- पुलिस

109- जिला पुलिस

05- मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

269.00

-----

## गृह (पुलिस) विभाग में यूपी-112

गृह (पुलिस) विभाग में यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण में रिस्पांस टाइम को कम करने हेतु वाहन की व्यवस्था के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 131.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 131.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2055- पुलिस

109- जिला पुलिस

13- यू.पी. 112 परियोजना

15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

131.00

-----

## एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ) हेतु व्यवस्था

पुलिस कर्मियों को विवेचना के दौरान पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय हेतु कार्पस फण्ड स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2055- पुलिस

109- जिला पुलिस

23- एन.एन.टी.एफ. हेतु पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय तथा विवेकाधीन कोष से व्यय

42-अन्य व्यय

100.00

-----

प्रदेश में साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि

बढ़ते हुए साइबर क्राइम के रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि एवं वाहनों के क्रय की व्यवस्था के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 973.60 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 973.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2055- पुलिस

109- जिला पुलिस

26- साइबर क्राइम

01-वेतन	394.42
02-मजदूरी	5.00
03-मंहगाई भत्ता	256.37
04-यात्रा व्यय	30.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10.00
06-अन्य भत्ते	18.41
08-कार्यालय व्यय	30.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00
23-गुप्त सेवा व्यय	1.00
42-अन्य व्यय	10.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	16.00
49-चिकित्सा व्यय	50.00
55-मकान किराया भत्ता	31.40
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30.00

योग -

973.60

-----

एस.डी.आर.एफ. हेतु वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था

प्रदेश में गृह (पुलिस) विभाग अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. की 03 नई टीम को क्रियाशील करने के लिए वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 13.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 13.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	
80- सामान्य	
102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश , आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	
03- एस 0 डी0 आर 0 एफ 0 का गठन	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	13.00

यूपी-112 परियोजना

गृह (पुलिस) विभाग में यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण में रिस्पांस टाइम को कम करने हेतु वाहन की व्यवस्था के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 26.20 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 26.20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
207- राज्य पुलिस	
14- यू.पी. 112 परियोजना	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	2620.00

पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु वाहन, उपकरण / संयंत्र हेतु व्यवस्था

प्रदेश के समस्त थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन एवं उपकरण / संयंत्र की व्यवस्था के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
207- राज्य पुलिस	
18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	1500.00

प्रदेश में साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि

बढ़ते हुए साइबर क्राइम के रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश में मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि एवं वाहनों के क्रय की व्यवस्था के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 242.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 242.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
207- राज्य पुलिस	
26- साइबर क्राइम	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	242.00

प्रदेश में अग्निशमन हेतु वाहन / उपकरण का क्रय

प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था तथा नवनिर्मित केन्द्रों को क्रियाशील बनाने के लिए वाहन क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 190.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 190.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
11- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - प्रशासन	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	19000.00

पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु

पुलिस विभाग में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 731.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 731.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
19- वूमैन पावर लाइन	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	731.00

एस.डी.आर.एफ. हेतु वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था

प्रदेश में गृह (पुलिस) विभाग अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. की 03 नई टीम को क्रियाशील करने के लिए वाहन एवं उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 14.87 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 14.87 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

101- प्राकृतिक आपदाएं

03- एस 0 डी0 आर 0 एफ 0

0302- वाहन, मशीन, सयन्त्र एवं उपकरण आदि का क्रय

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1487.00

-----

## अनुदान संख्या 027

## गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

नागरिक सुरक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाया जाना

नागरिक सुरक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के 04, गाजियाबाद के 01, प्रयागराज के 01 एवं झाँसी के 01 भवन अर्थात् कुल 07 शासकीय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 22.46 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 22.46 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- विभागीय भवनों के दिव्यांगजन हितैषी / बाधारहित बनाया जाना

25-लघु निर्माण कार्य

22.46

-----

केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में निर्माण कार्य

केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर स्थित बाउण्ड्रीवाल एवं भवनों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

04- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में स्थित बाउण्ड्रीवाल एवं भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार

25-लघु निर्माण कार्य

500.00

-----

## अनुदान संख्या 030

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

मुख्य सचिव के अभिसूचना स्रोतों के विकास हेतु गुप्त सेवा व्यय

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अभिसूचना स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें

090- सचिवालय

03- मुख्य सचिवालय

0301- अभिसूचना के स्रोतों का विकास

23-गुप्त सेवा व्यय

15.00

-----

## अनुदान संख्या 031

## चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रायोजित)

केन्द्र प्रायोजित फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नैदानिक अनुसंधान प्रोत्साहन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0130- फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस में नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	375.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	125.00
	500.00
योग -	

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 की स्थापना

राजकीय मेडिकल कॉलेज बाँदा, बदायूँ, आजमगढ, जालौन, कन्नौज, सहारनपुर तथा अम्बेडकरनगर में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
66- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-II की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00

फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)

फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस में नैदानिक अनुसंधान प्रोत्साहन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
96- फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस में नैदानिक अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन योजना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1000.00

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
98- फेज-1, 2 एवं 3 में स्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय	
9801- छात्रावासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सालय का निर्माण केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्थापित फेज -1, 2 एवं 3 के 27 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य के संसाधनों से चिकित्सालयों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
98- फेज-1, 2 एवं 3 में स्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय	
9802- चिकित्सालय का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फेज-1, 2 व 3 में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 की स्थापना

22 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फेज-1, 2 व 3 में ट्रामा सेन्टर लेवल-2 के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
98- फेज-1, 2 एवं 3 में स्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय	
9803- ट्रामा सेन्टर लेवल-II की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

## अनुदान संख्या 032

## चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल हेतु पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना

महानिदेशालय स्तर पर प्रदेश समस्त राजकीय चिकित्सा इकाईयों से निकलने वाले बायो मेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल हेतु पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 46.72 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 46.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110- अस्पताल तथा औषधालय

13- बायोमेडिकल बेस्ट के डिस्पोजल हेतु पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ

42-अन्य व्यय

46.72

-----

चिकित्सालयों के विकास हेतु निजी निवेश के प्रोत्साहन की योजना

चिकित्सालयों के विकास हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकारी सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110- अस्पताल तथा औषधालय

14- चिकित्सालयों के विकास हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

-----

पी.पी. मोड पर सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों का संचालन

पी.पी मोड पर 04 सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110- अस्पताल तथा औषधालय

15- पी.पी.पी. मोड पर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का संचालन

42-अन्य व्यय

2500.00

-----

## नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग

नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग हेतु महानिदेशालय के स्तर पर नैदानिक यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी	
200- अन्य स्वास्थ्य सेवायें	
03- नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण एवं मॉनिटरिंग	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500.00

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियाँ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी	
200- अन्य स्वास्थ्य सेवायें	
04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियाँ	
42-अन्य व्यय	10000.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20000.00
	30000.00
योग -	

## प्रदेश में 100 शैय्या से अधिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण

प्रदेश में 100 शैय्या से अधिक चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
110- अस्पताल तथा औषधालय	
08- प्रदेश में 100 शैय्या से अधिक चिकित्सालय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00

## अनुदान संख्या 033

## चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

प्रदेश में नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों की स्थापना

प्रदेश में नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

101- आयुर्वेद

03- प्रदेश में नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

1.00

-----

## अनुदान संख्या 034

## चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

होम्योपैथिक विभाग में शहरी चिकित्सालयों के लिये भूमि का क्रय

होम्योपैथिक विभाग में शहरी चिकित्सालयों के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800-	अन्य व्यय	
08-	होम्योपैथी चिकित्सालय	
60-	भूमि क्रय	1.00

-----

होम्योपैथिक विभाग के ग्रामीण चिकित्सालयों के लिये भूमि का क्रय

होम्योपैथिक विभाग के ग्रामीण चिकित्सालयों के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800-	अन्य व्यय	
04-	होम्योपैथिक चिकित्सालय	
60-	भूमि क्रय	1.00

-----

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सुदृढीकरण एवं नये कालेजों की स्थापना के लिये भूमि क्रय

होम्योपैथिक विभाग के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सुदृढीकरण एवं नये कालेजों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
102-	होम्योपैथी	
03-	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल	
60-	भूमि क्रय	1.00

-----

## अनुदान संख्या 035

## चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

## कम्यूनिटी प्रॉसेस से सम्बन्धित प्रशिक्षण

आशाओं को कम्यूनिटी प्रॉसेस से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2211- परिवार कल्याण

003- प्रशिक्षण

03- कम्यूनिटी प्रॉसेस से सम्बन्धित प्रशिक्षण

42-अन्य व्यय

1000.00

-----

## सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क (एस एम नेट)

प्रदेश के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पोलियो टीकाकरण गतिविधियों ग्राम स्वच्छता आदि के लिये सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क (एस एम नेट) हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2211- परिवार कल्याण

103- मातृ तथा बाल स्वास्थ्य

03- सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क

42-अन्य व्यय

3000.00

-----

## ई-विन मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी की निरन्तरता

नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के खुराक के प्रतिरक्षण हेतु ई-विन मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी की निरन्तरता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2211- परिवार कल्याण

103- मातृ तथा बाल स्वास्थ्य

04- ई-वित्त मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी की निरन्तरता

42-अन्य व्यय

500.00

-----

## अनुदान संख्या 036

## चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

## राज्य वन हेल्थ मिशन

राज्य वन हेल्थ मिशन के लिये हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06- लोक स्वास्थ्य सेवायें

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

05- राज्य वन हेल्थ मिशन

42-अन्य व्यय

500.00

-----

वैक्सीन प्रिवेन्टिबल डिजीज सर्विलांस एवं नियमित टीकाकरण, सुदृढीकरण गतिविधियों हेतु मानिट्रिंग नेटवर्क

वैक्सीन प्रिवेन्टिबल डिजीज सर्विलांस एवं नियमित टीकाकरण, सुदृढीकरण गतिविधियों हेतु मानिट्रिंग नेटवर्क एवं आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06- लोक स्वास्थ्य सेवायें

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

06- वैक्सीन प्रिवेन्टिबल डिजीज सर्विलांस एवं नियमित टीकाकरण, सुदृढीकरण गतिविधियों हेतु मानिट्रिंग नेटवर्क

42-अन्य व्यय

2000.00

-----

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन / छूट

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी, विद्युत शुल्क में छूट आदि के मदों में सब्सिडी भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06- लोक स्वास्थ्य सेवायें

113- लोक स्वास्थ्य प्रचार

03- उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति-2023

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

5000.00

-----

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय ए. आई. यूनिट की स्थापना

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय ए. आई. यूनिट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
06- लोक स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
04- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय ए.आई. यूनिट की स्थापना	
42-अन्य व्यय	50.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00
	<hr/>
योग -	100.00
	<hr/>

-----

## आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत हेल्थ डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत हेल्थ डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
06- लोक स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
05- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अन्तर्गत हेल्थ डिजिटल इको सिस्टम	
42-अन्य व्यय	2500.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2500.00
	<hr/>
योग -	5000.00
	<hr/>

-----

## अनुदान संख्या 037

## नगर विकास विभाग

## स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजना

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजनान्तर्गत सेन्टेज की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2215- जल पूर्ति तथा सफाई	
02- मल-जल तथा सफाई	
107- मल - जल सेवाएं	
05- स्वच्छ भारत मिशन-2.0	
0515- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था की देय सेन्टेज	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1000.00
-----	

## अटल नवीनीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0)

अटल नवीनीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत सेन्टेज की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 140.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2217- शहरी विकास	
05- अन्य शहरी विकास योजनाये	
800- अन्य व्यय	
12- अमृत-2.0 योजनान्तर्गत सेन्टेज की धनराशि	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	14000.00
-----	

## नवसृजित/नये सृजित होने वाले नगर निगमों में अमृत एवं अमृत-2.0 के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं का रख-रखाव

नवसृजित/नये सृजित होने वाले नगर निगमों यथा -मथुरा-वृंदावन, अयोध्या एवं शाहजहाँपुर तथा नये सृजित होने वाले नगर निगमों में अमृत एवं अमृत-2.0 के योजनान्तर्गत संचालित परियोजनाओं के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2217- शहरी विकास	
80- सामान्य	
191- नगर निगमों को सहायता	
10- नवसृजित / नये सृजित होने वाले नगर निगमों में अमृत एवं अमृत-2.0 में संचालित परियोजनाओं के रख-रखाव हेतु	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00
-----	

## 16 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में धनराशि की व्यवस्था

दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने वाली 16 वे केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत बजट प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 4309.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 4309.00 करोड़ की

व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2217- शहरी विकास

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

21- 16 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

430900.00

-----

## अनुदान संख्या 040

## नियोजन विभाग

## त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें	
092- अन्य कार्यालय	
04- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0401- राजस्व व्यय	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15.00

-----

## प्रदेश के समस्त मण्डलों में उप निदेशक-अर्थ एवं संख्या के कार्यालयों का सुदृढीकरण

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के 18 मण्डलों में मण्डलीय उपनिदेशक-अर्थ एवं संख्या के कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 54.45 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 54.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें	
101- योजना आयोग/योजना बोर्ड	
04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	54.45

-----

## अर्थ एवं संख्या भवन का सुदृढीकरण तथा महानिदेशक के कक्ष का निर्माण

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या भवन के सुदृढीकरण के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय	
29-अनुरक्षण	500.00

-----

## त्वरित आर्थिक विकास योजना

अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सेतु, पेयजल, शिक्षा, वनीकरण, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक केन्द्र, अधिवक्ताओं के चैम्बर / पुस्तकालय / बार काउंसिल भवन / वादकारी के लिए ढाँचा एवं विशेष क्षेत्र आदि विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 2099.85 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 2099.85 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
0306- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00
	योग -
	15500.00
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01- जलपूर्ति	
101- शहरी जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
102- ग्रामीण जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
02- मल-जल तथा सफाई	
101- शहरी सफाई सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
106- मल-जल सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
203- रोजगार	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- वनीकरण कार्यक्रम	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य	
800- अन्य व्यय	
05- विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	
0501- विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	73035.00
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
06- ग्रामीण विद्युतीकरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9000.00
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302- नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
337- सड़क निर्माण कार्य	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	55405.00
0302- शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
	85405.00
योग -	
	209985.00
	209985.00

-----

### अर्थ एवं संख्या भवन का सुदृढीकरण तथा महानिदेशक के कक्ष का निर्माण

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या भवन का सुदृढीकरण तथा महानिदेशक के कक्ष के निर्माण के लिये पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
04- अर्थ एवं संख्या भवन में निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

### पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय विकास निधि

प्रदेश के पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करते हुए संतुलित विकास के लिये विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये पूर्वांचल क्षेत्र हेतु रुपये 800.00 करोड़ तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु रुपये 350.00 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 1150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य	
800- अन्य व्यय	
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	80000.00
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	35000.00
	<hr/>
योग -	115000.00

### स्टेट डाटा सेन्टर अथॉरिटी

स्टेट डाटा सेन्टर अथॉरिटी बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें	
101- योजना आयोग/योजना बोर्ड	
07- स्टेट डाटा सेन्टर अथारिटी	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00

### जन विश्वास सिद्धान्त

जन विश्वास सिद्धान्त हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

101- योजना आयोग/योजना बोर्ड

08- जन विश्वास सिद्धान्त

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

-----

## अनुदान संख्या 042

## न्याय विभाग

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

05- अनावासीय भवनों का निर्माण

0501- अधीनस्थ न्यायालयों के अनावासीय भवनों में अवस्थापना सुविधा

24-वृहत् निर्माण कार्य

200.00

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

03- निर्माण-न्याय प्रशासन आवास

0302- अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय भवनों में अवस्थापना सुविधा

24-वृहत् निर्माण कार्य

200.00

कुल योग -

400.00

-----

## अनुदान संख्या 043

## परिवहन विभाग

## जनपद गौतमबुद्धनगर में कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

04- जनपद गौतमबुद्ध नगर में कार्यालय भवन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

-----

## उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसों का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी

0402- बस बेड़े के सुदृढीकरण हेतु

30-निवेश/ऋण

40000.00

-----

## मुख्यमंत्री 'जीरो फैटिलिटी' विजन योजना

प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर कम करने हेतु दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्ययोजना के दृष्टिगत प्रस्तावित मुख्यमंत्री 'जीरो फैटिलिटी' विजन योजनान्तर्गत उपकरणो/संयंत्र की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

08- मुख्यमंत्री जीरो फैटिलिटी विजन योजना

42-अन्य व्यय

5000.00

-----

## अनुदान संख्या 045

## पर्यावरण विभाग

उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण (CCUS) योजना

उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण (CCUS) योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव

003- पर्यावरणीय शिक्षा /प्रशिक्षण /विस्तार

06- उत्तर प्रदेश कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भण्डारण योजना

42-अन्य व्यय

50.00

-----

## अनुदान संख्या 047

## प्राविधिक शिक्षा विभाग

## प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिसर्च एवं डेवलपमेन्ट

प्रदेश में तकनीकी विकास को व्यावहारिक स्वरूप देने के ले प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राविधिक विश्वविद्यालयों, प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2203- तकनीकी शिक्षा	
112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
35- प्राविधिक विश्वविद्यालयों / संस्थानों / राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट	
64-रिसर्च एंड डेवलपमेन्ट	1000.00

-----

## महिला छात्रावास

राजकीय पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0107- राजकीय पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

-----

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में साज-सज्जा उपकरण/मशीनों संयंत्र की व्यवस्था

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप साज-सज्जा उपकरण/मशीनों संयंत्र की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 2676.12 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 2676.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
61- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2676.12

-----

राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में साज-सज्जा, उपकरण, मशीनों एवं संयंत्र आदि की व्यवस्था

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना Setting Up of New Polytechnic योजना एवं Upgradation of Existing Polytechnic

योजना के दिनांक 31 मार्च, 2026 को बंद होने के परिणामस्वरूप इस योजना से आच्छादित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में साज-सज्जा, उपकरण, मशीनों एवं संयंत्र आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

02- तकनीकी शिक्षा

104- बहुशिल्प

62- नये पॉलिटेक्निकों की स्थापना तथा वर्तमान पॉलिटेक्निकों का उन्नयन

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

4000.00

-----

## अनुदान संख्या 049

## महिला एवं बाल कल्याण विभाग

पोषण अभियान के अन्तर्गत स्मार्टफोन प्रदान किये जाने हेतु टाप-अप की व्यवस्था

पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सम्पादित कार्यों तथा भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य एवं स्पेशीफिकेशन के स्मार्टफोन से उच्च स्तर के स्पेसिफिकेशन के स्मार्टफोन के क्रय के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

25- पोषण अभियान अन्तर्गत स्मार्टफोन प्रदान किये जाने हेतु टॉपअप की व्यवस्था

42-अन्य व्यय

2000.00

-----

शाला पूर्व शिक्षा हेतु गतिविधि पुस्तिका

प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 से 04 वर्ष, 04 से 05 वर्ष एवं 05 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये "गतिविधि आधारित" पुस्तिका उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 3799.92 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 3799.92 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

26- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शालापूर्व शिक्षा हेतु गतिविधि पुस्तिका

42-अन्य व्यय

3799.92

-----

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर व मुरादाबाद में उच्च गुणवत्तापूर्ण 500-500 क्षमता के एक-एक महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

103- महिला कल्याण

03- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

8000.00

-----

## अनुदान संख्या 050

## राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

प्रदेश की तहसीलों को मॉडल तहसील के रूप में विकसित किया जाना

प्रदेश की तहसीलों के जीर्णोद्धार/उच्चीकरण के द्वारा मॉडल तहसील (Future Ready Tehsil) के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

04- मॉडल तहसील के रूप में विकसित फ्यूचर रेडी तहसील के उच्चीकरण / जीर्णोद्धार हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

2500.00

-----

## अनुदान संख्या 052

## राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमांकन, सर्वेक्षण, सीमान्त सर्वेक्षण एवं मानचित्रण हेतु व्यवस्था

उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमांकन, सर्वेक्षण, सीमान्त सर्वेक्षण एवं मानचित्रण सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

10- उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य तथा प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमांकन, सर्वेक्षण, सीमान्त, मानचित्रण संबंधी व्यय

24-वृहत् निर्माण कार्य

1.00

-----

उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमा विवादों के निस्तारण हेतु सीमा स्तम्भ/बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

उत्तर प्रदेश तथा सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य एवं प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमा विवादों के निस्तारण के लिए सीमा स्तम्भ/बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

11- उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के मध्य तथा प्रदेश के भीतर जनपदों के मध्य सीमा विवादों के निस्तारण के लिए सीमा स्तम्भों / बाउण्ड्रीवाल की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

1.00

-----

**अनुदान संख्या 055**  
**लोक निर्माण विभाग (भवन)**

**कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरुद्धार**

कार्यालय भवनों के विस्तार एवं पुनरुद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
-----	

**नये कार्यालय भवनों का निर्माण**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
-----	

**अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
-----	

शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन

स्पये 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण, ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में डी.पी.आर. के गठन पर आने वाले व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में स्पये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( स्पये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
05- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्पये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में स्पये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( स्पये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	500.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं नवसृजित जनपदों में नये निरीक्षण भवनों की स्थापना एवं कतिपय महत्वपूर्ण जनपदों में सर्किट हाउस निर्माण के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूर्व निर्मित निरीक्षण भवनों के विस्तारीकरण तथा जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में स्पये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में स्पये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( स्पये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7500.00

### राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 700.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	700.00

-----

### अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के ऐसे जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ नये अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल निर्माण एवं वर्तमान ट्रांजिट हास्टलों का विस्तार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

-----

### लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में नये आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

-----

### आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00

-----

### दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रैम्प तथा शौचालय निर्माण

प्रदेश के ऐसे आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में नये रैम्प तथा शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	250.00

-----

### शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना

लोक निर्माण विभाग के भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 13.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
31- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1300.00

-----

### पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 42.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 42.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
106- साधारण पूल आवास	
03- निर्माण - लोक निर्माण	
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4200.00
-----	

### आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 42.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 42.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
700- अन्य आवास	
05- निर्माण-अन्य	
0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4200.00
-----	

### राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 138.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 138.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
01- सरकारी रिहायशी भवन		
700- अन्य आवास		
05- निर्माण-अन्य		
0538- राजभवन, लखनऊ		
25-लघु निर्माण कार्य	मतदेय	0.00
	भारित	138.0
-----		

## अनुदान संख्या 057

## लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

## ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 551.53 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 551.53 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
101-	पुल	
04-	सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0403-	ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	55153.00

## शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 157.58 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 157.58 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
101-	पुल	
04-	सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0405-	शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	15758.00

## जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूँसी साइड पर नारापुर की दिशा में) तक गंगा नदी पर नये सेतु का निर्माण

जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूँसी साइड पर नारापुर की दिशा में) तक गंगा नदी पर नये सेतु के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 236.37 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 236.37 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
101-	पुल	
04-	सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0408-	जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूँसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये सेतु का निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	23637.00

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी सेतु के सामानान्तर नये पुल का निर्माण

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के सामानान्तर नये सेतु के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 157.58 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 157.58 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)	
0409- जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के सामान्तर एक नये पुल के निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15758.00

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 551.53 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 551.53 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
05- रेलवे उपरिगामी सेतु	
0517- रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	55153.00

केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
05- रेलवे उपरिगामी सेतु	
0518- केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9000.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 472.74 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 472.74 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

47274.00

-----

## अनुदान संख्या 058

## लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

प्रदेश में जनपद / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण

प्रदेश में जनपद / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय पर हेलीपैड के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य वैमानिक सेवाएं

800- अन्य व्यय

03- प्रदेश में जनपद/तहसील/ब्लाक मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

4000.00

-----

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 630.32 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 630.32 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

03- राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य

0306- राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

63032.00

-----

औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण के नये कार्य

औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

09- औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य

30000.00

-----

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 945.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 945.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एकमुश्त व्यवस्था	
1328- प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	94550.00

तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

पं. दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एकमुश्त व्यवस्था	
1347- प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
85- शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

800- अन्य व्यय

03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

-----

धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था

धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

11- धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य

50000.00

-----

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1330- प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था

60-भूमि क्रय

7500.00

-----

### क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1335- क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
42-अन्य व्यय	100.00

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों/सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य (नये कार्य)

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1358- प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00

चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एक मुश्त व्यवस्था	
1359- चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00

मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 1200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1360- मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

120000.00

-----

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण/पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1361- नार्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

12000.00

-----

राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

18- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण /

पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1.00

-----

प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027

में रुपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
19- प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार, सौन्दर्यीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी	
24-वृहत् निर्माण कार्य	12000.00

-----

प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों के निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 170.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 170.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
20- प्रदेश के अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	17000.00

-----

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

-----

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
86- नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50000.00

-----

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
337- सड़क निर्माण कार्य	
99- पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00

-----

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
800- अन्य व्यय	
04- केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य	
0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

-----

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 14 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 14 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
004-	अनुसंधान	
04-	अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चीकरण	
26-	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	100.00

-----

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
04-	मूल्य हास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	
26-	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00

-----

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
05-	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	800.00

-----

## अनुदान संख्या 059

## लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

## नये विधान भवन का निर्माण

नये विधान भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

11- नये विधान भवन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

-----

## अनुदान संख्या 060

## वन विभाग

## उ. प्र. में वन बल का आधुनिकीकरण

उ. प्र. में वन बल के आधुनिकीकरण के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 140.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 140.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
01- वानिकी	
101- वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण	
06- उत्तर प्रदेश में वन बल का आधुनिकीकरण	
42-अन्य व्यय	140.00

-----

## रानीपुर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन, चित्रकूट का कॉर्पस फण्ड

रानीपुर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन, चित्रकूट के कॉर्पस फण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110- वन्य जीव परिरक्षण	
18- रानीपुर बाघ संरक्षण फाउण्डेशन, उ.प्र. चित्रकूट के कॉर्पस फण्ड	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5000.00

-----

## उ. प्र. में वन बल का आधुनिकीकरण

उ. प्र. में वन बल के आधुनिकीकरण के लिये पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 860.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 860.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	
06- उत्तर प्रदेश में वन बल का आधुनिकीकरण	
42-अन्य व्यय	860.00

-----

## अनुदान संख्या 066

## वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि अभिलेख का केन्द्रीयकृत रूप से रख-रखाव

प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ) अभिलेख का, महालेखाकार कार्यालय की भौति केन्द्रीयकृत रूप से रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 64.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 64.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना

03- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

64.00

-----

## अनुदान संख्या 067

## विधान परिषद् सचिवालय

## विधान परिषद् के पोर्टिको में फसाड लाईटिंग

विधान भवन की भव्यता हेतु विधान परिषद् के पोर्टिको में फसाड लाईटिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 492.48 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 492.48 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

08- उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में पोर्टिको में फसाड लाईटिंग

24-वृहत् निर्माण कार्य

492.48

-----

## विधान परिषद् में डिजिटल लाइब्रेरी

विधान परिषद् में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 493.24 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 493.24 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

09- विधान परिषद् में डिजिटल लाइब्रेरी

24-वृहत् निर्माण कार्य

493.24

-----

## अनुदान संख्या 068

## विधान सभा सचिवालय

प्रदेश के अब तक के समस्त मा0 मुख्य मंत्री, मा0 अध्यक्षगणों एवं अन्य महान विभूतियों के संबंध में डिजिटल आर्ट गैलरी की स्थापना

प्रदेश के अब तक के समस्त मा0 मुख्य मंत्री, मा0 अध्यक्षगणों एवं अन्य महान विभूतियों के संबंध में डिजिटल आर्ट गैलरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 410.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 410.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
04- प्रदेश के अब तक के समस्त मा.मुख्यमंत्री, मा. अध्यक्षगणों एवं अन्य महान विभूतियों के सम्बन्ध में डिजिटल आर्ट गैलरी की स्थापना	
42-अन्य व्यय	410.00

विधान सभा मंडप हेतु स्थापित वातानुकूलन संयंत्र का अपग्रेडेशन

विधान सभा के केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र में आधुनिक तकनीक के माध्यम से हीटिंग व कूलिंग की व्यवस्था हेतु मॉडरेशन पाइपलाइन,सेल्फ बैलेंसिंग वाल्वो ,बी.एम.एस सिस्टम, ओजोन जेनेरेटर एवं स्मोक एग्जास्ट की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 365.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 365.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	365.00

अनुदान संख्या 069  
व्यावसायिक शिक्षा विभाग

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के अन्तर्गत आच्छादित जन को अल्प कालीन कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03- प्रशिक्षण

800- अन्य व्यय

07- जीरो पावर्टी उ.प्र. अभियान के अंतर्गत आच्छादित जन को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण

42-अन्य व्यय

5000.00

-----

## अनुदान संख्या 070

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के अन्तर्गत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट तथा नवाचार के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2810- नये और नवीनीकृत ऊर्जा	
104- नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास	
05- उ.प्र. ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के अन्तर्गत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना एवं आर. एण्ड डी. तथा नवाचार	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00

नवीकरणीय ऊर्जा हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर आयोजित होने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं एक्सपो आदि के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2810- नये और नवीनीकृत ऊर्जा	
800- अन्य व्यय	
12- नवीकरणीय ऊर्जा हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु निधि	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00

लाइटनिंग फॉरकास्ट हेतु सैटेलाइट पे-लोड का विकास

प्रदेश में आकाशीय बिजली से जनमानस को होने वाली असामयिक क्षति से रोकथाम के लिए लाइटनिंग फॉरकास्ट हेतु सैटेलाइट पे-लोड के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
09- लाइटनिंग फोरकास्ट हेतु सैटेलाइट पे लोड का विकास	
42-अन्य व्यय	1000.00

## अनुदान संख्या 071

## शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

## आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना

प्रदेश के जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी विद्यालय स्थापित हैं उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
05- आवासीय बालिका विद्यालय	
42-अन्य व्यय	2.00

## कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेतर व संविदा / मानदेय आधारित कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 357.84 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 357.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
04- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	35784.00

## स्कूल सुरक्षा ऑडिट

सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की स्कूल सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाये जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	
07- बे.शि. परिषद के मुख्यालयो/क्षेत्रीय कार्यालयो तथा प्रा. विद्यालयो और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के. जी./ नर्सरी विद्यालयो को सहायता	
0702- सहायता प्राप्त जू.हा.स्कूल एवं के.जी. नर्सरी विद्यालयों का सहायता	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	30000.00

## साक्षर भारत मिशन की अवशेष देनदारियों का भुगतान

साक्षर भारत मिशन की अवशेष देनदारियों की ऑडिटेड धनराशियों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 336.91 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 336.91 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
105- अनौपचारिक शिक्षा	
12- साक्षर भारत मिशन की अवशेष देनदारियों का भुगतान	
42-अन्य व्यय	33691.00

-----

एक ही परिवार की एक से अधिक बच्चियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति

शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्था में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराया जाना अथवा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
05- एक ही परिवार की एक से अधिक बच्चियों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10000.00

-----

आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना

प्रदेश के जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी विद्यालय स्थापित हैं उनमें आवासीय बालिका विद्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 580.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 580.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
201- प्रारम्भिक शिक्षा -	
14- आवासीय बालिका विद्यालय	
24-बृहत् निर्माण कार्य	58000.00

-----

**अनुदान संख्या 072**  
**शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)**

**स्कूल सुरक्षा ऑडिट**

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्कूल सुरक्षा ऑडिट कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 451.30 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 451.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	
03- गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान	
0302- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की स्कूल सुरक्षा आडिट	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	451.30

-----

सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा तथा अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य

प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित विद्यालयों (माध्यमिक विद्यालय, सम्बद्ध प्राइमरी बालक एवं बालिका तथा संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय) में अवस्थापना सुविधा तथा अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	
04- सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1000.00

-----

**कैशलेस चिकित्सा सुविधा**

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं संस्कृत शिक्षा परिषद् के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 89.25 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 89.25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	
05- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	8925.00

-----

## छात्राओं हेतु निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की सुविधा

प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
02- माध्यमिक शिक्षा	
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	
06- छात्राओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की सुविधा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	30000.00
-----	

## वाहनों का क्रय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 02 वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 24.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 24.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
12- माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	24.00
-----	

## राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर की स्थापना

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकेडमिक शिक्षा के साथ प्रदान की जा रही व्यवसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ-साथ प्रदेश में उद्यमों के लिये आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष मानक संसाधनों के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
09- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लेब क्लस्टर की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	15000.00
-----	

## अनुदान संख्या 073

## शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर

जनपद शाहजहाँपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
03- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
	<hr/>
योग -	1200.00
	<hr/>

काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही

जनपद भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 11.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 11.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
05- काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
	<hr/>
योग -	1100.00
	<hr/>

महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता	
04- अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	300.00

## कैशलेस चिकित्सा सुविधा

सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता	
05- कैशलेस चिकित्सा सुविधा	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2000.00
-----	

### उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान “छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति”

शैक्षिक संस्थानों में प्रत्येक छात्र को समावेशी, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण में तनाव मुक्त, आत्मनिर्भर एवं सकारात्मक रूप से विकसित किये जाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान “छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति” के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 14.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 14.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
14- उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति	
42-अन्य व्यय	1450.00
-----	

### मुख्यमंत्री भारतीय ज्ञान प्रणाली (आई.के.एस.) वैश्विक उत्कृष्टता कोष की स्थापना

भारतीय ज्ञान प्रणाली और उभरते क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री भारतीय ज्ञान प्रणाली (आई.के.एस.) वैश्विक उत्कृष्टता कोष" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
26- मुख्यमंत्री भारतीय ज्ञान प्रणाली (आई.के.एस.) वैश्विक उत्कृष्टता कोष की स्थापना	
42-अन्य व्यय	1000.00
-----	

## भारतीय ज्ञान परम्परा संवर्धन शोध पीठ

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परम्परा संवर्धन शोध पीठ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
27- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परम्परा संवर्धन शोधपीठ की स्थापना	
42-अन्य व्यय	500.00

-----

## उत्तर प्रदेश के स्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों हेतु ए.आई. प्रमाणन शुल्क प्रतिभूति योजना

उत्तर प्रदेश के छात्रों को विश्वस्तरीय ए.आई. कौशल से सशक्त बनाने, सरकारी / अनुदानित कॉलेजों के छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाये जाने, राज्य में ए.आई. प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने, परिणाम-आधारित सार्वजनिक व्यय सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
28- उत्तर प्रदेश के स्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों हेतु ए.आई. प्रमाणन शुल्क प्रतिभूति योजना	
42-अन्य व्यय	1000.00

-----

## प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी (सी.एम.-विद्यालक्ष्मी) योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पी.एम. विद्यालक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के शिक्षा-ऋण के ब्याज पर पी.एम. विद्यालक्ष्मी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी (सी.एम.-विद्यालक्ष्मी) योजना के अन्तर्गत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
29- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना	
42-अन्य व्यय	3000.00

-----

## राज्य विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इनोवेशन फण्ड की स्थापना

विश्व स्तर पर शोध गतिविधियों में प्रदेश का स्थान सुनिश्चित करने एवं गुणात्मक उच्च स्तरीय शोध हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से वैश्विक शोध गतिविधियों के स्तर पर प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं के उन्नयन हेतु राज्य विश्वविद्यालयों में रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक कोष स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
30- राज्य विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इनोवेशन फण्ड की स्थापना	
42-अन्य व्यय	5000.00

-----

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के स्वर्ण पदक विजेता छात्रों (यू.जी. / पी.जी.) हेतु प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के स्वर्ण पदक विजेता छात्रों (यू.जी. / पी.जी.) के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
31- उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के स्वर्ण पदक विजेता छात्रों (यू.जी./पी.जी.) हेतु प्रोत्साहन योजना	
42-अन्य व्यय	500.00

-----

स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर में निर्माण

जनपद शाहजहाँपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
18- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

-----

### काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही में निर्माण

जनपद भदोही में काशी नरेश विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
26- काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

### छात्रावासों का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के छात्र/छात्राओं को समुचित आवासीय व्यवस्था हेतु छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
27- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अध्ययनरत उ.प्र. राज्य के छात्र / छात्राओं को समुचित आवासीय व्यवस्था हेतु छात्रावासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

### उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा STEM संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रावास

उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा STEM संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु वी.जी.एफ. / पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
37- उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा STEM संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु वीजीएफ / पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

अनुदान संख्या 074  
गृह विभाग (होमगार्ड्स)

वाहनों का क्रय

होमगार्ड विभाग में विभागाध्यक्ष के उपयोगार्थ 01 वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 17.92 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 17.92 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

09- होमगार्ड्स - सामान्य अधिष्ठान

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

17.92

-----

## अनुदान संख्या 076

## श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

## श्रम विभाग के कार्यालयों का निर्माण

श्रम विभाग के अन्तर्गत अपर श्रमायुक्त कार्यालय- नोएडा, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय-हापुड एवं सहायक श्रमायुक्त कार्यालय- शामली के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- कार्यालयों का नव निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1.00

-----

अनुदान संख्या 078  
सचिवालय प्रशासन विभाग

मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान

गम्भीर स्प से पीड़ित तथा आपदा से ग्रसित लोगों की तत्काल सहायता के लिए मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 136.80 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 136.80 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2013- मंत्रि परिषद्	
105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
03- मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
42-अन्य व्यय	13680.00
-----	

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम

सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत नवगठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संचालन के लिए ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	
800- अन्य कर्ज	
03- उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को ऋण	
30-निवेश/ऋण	2000.00
-----	

## अनुदान संख्या 079

## समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

## बचपन डे केयर सेन्टर

प्रदेश में 09 मुख्य मंडलों के जनपदों तथा 02 अन्य जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
31- बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन	
09-विद्युत देय	19.00
39-औषधि तथा रसायन	45.00
41-भोजन व्यय	55.00
42-अन्य व्यय	681.00
	800.00
योग -	800.00

-----

## उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन स्वावलम्बन एवं आजीविका सेतु मिशन

प्रदेश के दिव्यांगजन को उनके कौशल, योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुसूप वेतन आधारित रोजगार तथा बैंक लिक्विड स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक, स्थायी एवं समावेशी आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन स्वावलम्बन एवं आजीविका सेतु मिशन' के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
41- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन स्वावलम्बन एवं आजीविका सेतु मिशन	
42-अन्य व्यय	100.00

-----

दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल हेतु अनुदान योजना

स्कूल जाने वाली / शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
42- स्कूल जाने वाली / शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने हेतु अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	6000.00
-----	

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु विद्यालय भवन एवं 100 दिव्यांग छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
05- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
-----	

बचपन डे केयर सेन्टर

जनपद झांसी, चित्रकूट, कानपुर नगर, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
18- बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
-----	

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में इनडोर स्टेडियम का निर्माण

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में एक इनडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
35- जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00

-----

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में शैक्षणिक भवन का निर्माण

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में विद्यार्थियों की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि के दृष्टिगत मानक के अनुसूप एक नये शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
35- जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

-----

जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों का निर्माण

प्रदेश में मण्डल मुख्यालय वाले जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
36- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00

-----

## अनुदान संख्या 081

## समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ शोध कार्य

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों, ट्रान्सजेण्डर, वृद्धजन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ शोध कार्य में लगे विभिन्न विध्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों में गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ. प्र. के माध्यम से अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

80- सामान्य

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

03- अनुसूचित जातियों / जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ शोध कार्य हेतु अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10.00

-----

उत्तर प्रदेश महिला उधमी क्रेडिट कार्ड योजना

स्वयं सहायता महिलाओं को लघु उधम स्थापित करने, ऋण निर्भरता से मुक्त करने तथा "लखपति दीदी" लक्ष्य को गति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 136.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 136.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

06- स्वरोजगार कार्यक्रम

796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना

05- उत्तर प्रदेश महिला उधमी क्रेडिट कार्ड योजना

42-अन्य व्यय

136.00

-----

## अनुदान संख्या 082

## सतर्कता विभाग

## उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर आगरा में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण

0307- सतर्कता अधिष्ठान, आगरा

60-भूमि क्रय

500.00

-----

## अनुदान संख्या 083

## समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

जल परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण, संचालन एवं अनुरक्षण

जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में कैमिकल एवं बैक्टीरियल पैरामीटर्स में NABL एकीकरण कराने के लिए प्रयोगशालाओं के उच्चिकरण आवश्यक उपकरण, मानव संसाधन तथा रसायन आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 4018.58 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 4018.58 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2215- जल पूर्ति तथा सफाई

01- जलपूर्ति

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल एकीकरण

42-अन्य व्यय

4018.58

-----

प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में शोध कार्य

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में शोध कार्य के लिए शोध अनुभाग की स्थापना कर, उसे क्रियाशील बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03- प्रशिक्षण

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03- आई.टी.आई. अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र

64-रिसर्च एंड डेवलपमेंट

100.00

-----

### मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना

प्रदेश में उपलब्ध पशुधन संख्या के सापेक्ष विभिन्न वर्गों के अधिकाधिक पशुओं को पशुधन बीमा से आच्छादित करने हेतु 'स्टेट लाइवस्टॉक मिशन' के अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना' के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2403- पशु पालन	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
14- मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	
18-प्रकाशन	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00
42-अन्य व्यय	985.00
	<hr/>
योग -	1000.00
	<hr/>

प्रदेश में अन्तर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों का निर्माण

प्रदेश में मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से अन्तर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नये तालाब एवं झींगा बीज रियरिंग इकाईयों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2405- मछली पालन	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04- उत्तर प्रदेश के खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10.00

### उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना

स्वयं सहायता महिलाओं को लघु उद्यम स्थापित करने, ऋण निर्भरता से मुक्त करने तथा "लखपति दीदी" लक्ष्य को गति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 47.60 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 47.60 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	( रुपये लाख में )
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	
06- स्वरोजगार कार्यक्रम	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03- उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना	
42-अन्य व्यय	4760.00

### पी.एम. अजय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण

भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित पी.एम. अजय योजनान्तर्गत छात्रावास निर्माण के लिये भारत सरकार की गाइडलाइन में निर्धारित धनराशि से अधिक आगणित लागत की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 1308.84 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 1308.84 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4225- अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

02- पी.एम. अजय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों निर्माण योजना के लिए टॉप-अप

24-वृहत् निर्माण कार्य

1308.84

-----

गाय / भैसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार

प्रदेश में गाय / भैसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं के सुधार, विस्तार तथा बायफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजनान्तर्गत उपकरणों एवं मशीनों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03- गाय / भैसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बायफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

60.00

-----

क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से पूँजीगत प्रकृति के कार्य के वित्त पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

02- पिछड़े क्षेत्र

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें

24-वृहत् निर्माण कार्य

40000.00

-----

### क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से पूंजीगत प्रकृति के कार्य के वित्त पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02- पिछड़े क्षेत्र	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00

-----

### राज्य के प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य

राज्य के प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 254.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 254.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	25450.00

-----

### राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के निर्माण कार्य

प्रदेश में राज्य राज्यमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 169.68 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 169.68 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	16968.00

-----

### शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण कार्य

प्रदेश में 'शहरी क्षेत्रों में सेतुओं' के नये निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 42.42 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 42.42 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04- सेतु निर्माण	
0405- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4242.00

-----

### जनपद प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा नदी पर सेतु का निर्माण कार्य

जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झंसी साइड पर नारापुर की दिशा में ) तक गंगा नदी पर सेतु के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 63.63 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 63.63 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
07- जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झंसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये सेतु का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6363.00

-----

### जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी सेतु के समानान्तर नये सेतु का निर्माण कार्य

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी सेतु के समानान्तर सेतु के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 42.42 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 42.42 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
08- जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4242.00

-----

### रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण कार्य

प्रदेश में रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 148.47 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 148.47 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
19- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	14847.00

-----

### ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य

प्रदेश में ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 148.47 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 148.47 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	14847.00

-----

### नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत सेतुओं का निर्माण कार्य

प्रदेश में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 127.26 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 127.26 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
21- नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	12726.00

-----

## अनुदान संख्या 084

## सामान्य प्रशासन विभाग

## जनगणना-2027

उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 से सम्बन्धित कार्यों के प्रभावी, समयबद्ध एवं सुचारु क्रियावन के लिए आवश्यक संसाधनों/कार्मिक/प्रशिक्षण/लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

06- जनगणना-2027

42-अन्य व्यय

9000.00

-----

## अनुदान संख्या 089

## राज्य कर विभाग

मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य एस. जी. एस. टी. के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 135.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 135.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (1) के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार

800- अन्य व्यय

14- मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य एस.जी.एस.टी. के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति

42-अन्य व्यय

135.00

-----

## अनुदान संख्या 091

## स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

## स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उपनिबंधक कार्यालयों में फ्रन्ट ऑफिस निर्माण

प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के उपनिबंधक कार्यालयों के आधुनिकीकरण, आई. टी. एवं हार्डवेयर प्रबंधन, क्यू मैनेजमेंट सुविधा एवं सुरक्षा प्रबंधन तथा केन्द्रीय हेल्पडेस्क आदि हेतु प्रथम चरण में चयनित उपनिबंधक कार्यालयों में फ्रन्ट ऑफिस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

2030- स्टाम्प पंजीकरण

03- पंजीकरण

001- निदेशन तथा प्रशासन

07- प्रदेश के उप निबन्धक कार्यालयों में फ्रन्ट ऑफिस (स्मार्ट ऑफिस)

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

1000.00

-----

## स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधीन जनपद सहारनपुर के उपनिबंधक सदर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 99.27 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 99.27 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

800- अन्य व्यय

03- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

60-भूमि क्रय

99.27

-----

## अनुदान संख्या 093

## नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

जल परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं का उच्चिकरण, संचालन एवं अनुरक्षण

जग गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में कैमिकल एवं बैक्टीरियल पैरामीटर्स में NABL एकीकरण कराने के लिए प्रयोगशालाओं के उच्चिकरण, आवश्यक उपकरण, मानव संसाधन तथा रसायन आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 6027.87 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 6027.87 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2215- जल पूर्ति तथा सफाई	
01- जलपूर्ति	
102- ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	
03- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल एकीकरण	
42-अन्य व्यय	6027.87

-----

जलवायु आधारित भूजल अन्वेषण एवं विकास योजना

प्रदेश के तीन प्रमुख कलस्टर्स यथा - मेरठ/गाजियाबाद, कानपुर/झांसी एवं वाराणसी/भदोही में भूजल संसाधनों के उच्च दोहन, भूजल स्तर में गिरावट, भारी धातु का प्रवेश आदि के दृष्टिगत भूजल संसाधनों के सतत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए समेकित मूल्यांकन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 115.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 115.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2702- लघु सिंचाई	
02- भू-जल	
005- अन्वेषण	
11- जलवायु आधारित भू-जल अन्वेषण एवं विकास योजना	
42-अन्य व्यय	115.00

-----

लघु सिंचाई शिक्षता प्रशिक्षण योजना

राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की विभाग में आवश्यकता के दृष्टिगत 93 प्रशिक्षणार्थियों को 01 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण भत्ता हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 107.14 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 107.14 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - ( रुपये लाख में )

2702- लघु सिंचाई	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
11- लघु सिंचाई शिक्षता योजना	
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	107.14

-----

अनुदान संख्या 094  
सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 120896.71 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 120896.71 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	12028.00
05-	लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	11708.49
06-	पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	930.00
07-	आगरा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	3773.95
17-	आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के 1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	500.00
60-	भूमि क्रय	500.00
		1000.00
	योग -	4773.95
08-	शारदा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	8870.00

09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	11287.00
10- केन बेतवा लिक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
01- केन्द्र प्रयोजित योजनायें	
0101- केन-बेतवा लिक परियोजना कम्पोनेन्ट-1(बी) (के.90/रा.10-के.+रा.)	
42-अन्य व्यय	14400.00
0102- केन बेतवा लिक परियोजना कम्पोनेन्ट-2 (के.60/रा.40 ( 30% ब्याजू केन्द्रीय ऋण+10% राज्यांश)-के.+रा.)	
42-अन्य व्यय	3000.00
10- सम्बद्ध कार्य	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	450.00
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1520.23
	<hr/>
योग -	19370.23
	<hr/>
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4100.00
60-भूमि क्रय	151.25
	<hr/>
योग -	4251.25
	<hr/>
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	16371.74
60-भूमि क्रय	84.96
	<hr/>
योग -	16456.70
	<hr/>
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3365.00
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	

10- नहरें	
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1857.13
60-भूमि क्रय	447.96
	2305.09
	योग -
	2805.09
21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	700.00
22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2881.00
32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
97- बाह्य सहायतित योजनायें	
9703- डैम रिहैबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विश्व बैंक : 30 राज्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4660.00
36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8810.00
39- वृहद एवं मध्यम लिफ्ट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
13- विभिन्न लिफ्ट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना(नाबार्ड)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
	120896.71
	कुल योग -
	120896.71

## मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 55250.48 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 55250.48 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

### 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	850.00
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरे	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
07- केन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1005.00
08- दोहरी घाट पम्प नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1670.00
15- रोहिल खण्ड नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	837.56
17- गुरूसराय नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
19- धसान नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4740.80

20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- भौरट बाँध की पुनरीक्षित परियोजना (के.60 एवं रा.40)	
42-अन्य व्यय	25000.00
21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	975.00
26- टोन्स पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	370.00
31- सुरहाताल पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	114.00
35- सरयू पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
39- कबरई बांध / नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	790.00
60-भूमि क्रय	4000.00
	<hr/>
	योग - 4790.00
45- शहजाद बांध / नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	

24-वृहत् निर्माण कार्य	450.00
46- सजनम बांध / नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	125.00
55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	650.00
60- पहुंज बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	315.00
75- बडा गांव पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	440.00
85- सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों का पुनरौद्धार एवं विस्तार (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
09- भवन	
0906- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1230.00
07- बैराज	
0714- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6304.00
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1268.88
60-भूमि क्रय	15.24
	<hr/>
	1284.12

योग -

16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य		300.00
	योग -	<u>9118.12</u>
97- नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं तथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		<u>1000.00</u>
	कुल योग -	<u>55250.48</u>

-----

## लघु सिंचाई की परियोजनायें

लघु सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 31119.74 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 31119.74 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
101- सतही जल	
03- उठाऊ सिंचाई	
0301- कार्यरत लघु लिफ्ट नहरों का आधुनिकीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
0304- नवीन लघु लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
0330- लघु डाल नहरों पर IOT सिस्टम स्थापित करने की परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
	योग - 10500.00
102- भू जल	
03- नलकूप योजनायें	
0305- नलकूपों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5500.00
0316- खण्डीय कार्यशालाओं में स्थापित उपकरण एवं संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1119.74
0317- राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
0318- राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5500.00
0331- लघु डाल नहरों पर IOT सिस्टम स्थापित करने की परियोजना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
	योग - 20619.74
	कुल योग - 31119.74

-----

## बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में रुपये 817.94 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में रुपये 817.94 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

## 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

( रुपये लाख में )

4711 - बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01- बाढ नियंत्रण	
052- मशीनरी तथा उपस्कर	
03- नवीन सम्पूर्ति	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00
04- मरम्मत	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	400.00
05- गाड़ी भाड़ा	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00
	योग -
	2000.00
103- सिविल निर्माण कार्य	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	850.00
0103- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए0 आई0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें	
0605- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
08- तट बंधों का निर्माण	
0840- तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	11000.00
0841- सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3422.00
09- कटाव निरोधक योजनायें	
0984- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	12674.00
60-भूमि क्रय	50.00
	योग -
	12724.00
0985- नदियों के व्यवहार एवं सिल्ट के संबंध में शोध की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

0986- परियोजनाओं के वास्तविक समय आधारित प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		50.00
0987- नदी एवं जल संबंधित आंकड़ों का वास्तविक संकलन, प्रेषण एवं आंकलन की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		50.00
10- तटबंधों का निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चिकरण एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएं व अन्य (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		50.00
11- अनापेक्षित आपातकालीन योजनायें (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		10.00
23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		32846.00
25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान		
24-वृहत् निर्माण कार्य		3500.00
	योग -	<u>74952.00</u>
03- जल निकास		
103- सिविल निर्माण कार्य		
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)		
0305- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		300.00
07- जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		4542.00
	योग -	<u>4842.00</u>
	कुल योग -	<u><u>81794.00</u></u>

-----